सत्यमेव जयते

"एक युद्ध नशे के विरुद्ध"

बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम पर

संयुक्त कार्य योजना

NCPCR

बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से दूर रखने और स्कूलों/शैक्षिक संस्थानों और बाल देखभाल संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से मिले-जुले प्रयासों द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए तथा देश में बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के उपयोग की समस्या का समाधान करने में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक फ्रेमवर्क

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

पश्चिमी ब्लॉक-1, विंग-5, आर के पुरम

नई दिल्ली-110066

दूरभाष 011-26710000

www.narcoticsindia.nic.in

एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग

पाचंवा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ

नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23478200

www.ncpcr.gov.in

प्रकाशन वर्ष 2021

डिस्क्लेमर :-यह संयुक्त कार्य योजना नशीली दवाओं, मादक पदार्थों और बच्चों से संबंधित विभिन्न विधियों, नीतियों स्कीमों और कार्यक्रमों में उपबंधित विभिन्न प्रावधानों के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य संबंधित पदाधिकारियों, कर्तव्य वाहकों, हित धारियों और चिकित्सा व्यवसायियों के कार्यों को दिशा निर्देशित करना है। तथापि इस दस्तावेज के कारण उत्पन्न किसी टकराव के मामले में इसकी विषय सामग्री के मुख्य स्रोत को देखा जाए ।इसके अलावा यह कार्य योजना समय के साथ साथ स्थिति, कानूनों, कार्यक्रमों, स्कीमों में परिवर्तन होने पर या किसी अन्य कारण से संशोधित की जा सकती है।

राकेश अस्थाना भा.पु.से.
महानिदेशक
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
पश्चिमी खंड-1, विंग-5, आर के पुरम
नई दिल्ली-110066 भारत
दूरभाष: +91-11-26172089
फैक्स: 011-26105747
ट्विटर: @dg_ncb

संदेश

नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एक प्रमुख नशा कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के नाते नशा मुक्त भारत के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ देश में नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए ब्यूरो अथक और सतत प्रयास कर रहा है। इस दिशा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है । एनसीपीसीआर के अध्यक्ष बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना बनाने के लिए नशे के अवैध व्यापार के विरुद्ध लड़ाई में शामिल विभिन्न मंत्रालयों और अन्य हित धारियों के साथ दिन-रात कार्य कर रहे हैं यह कार्य योजना विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ काफी अधिक विचार मंथन और चर्चा करके तैयार की गई है।

इस संयुक्त कार्य योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य बच्चों को नशे के पंजों से मुक्त कराना है और बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की लत को दूर करने कि हमारी लड़ाई में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का स्पष्ट रूप से वर्णन करना है।

मुझे खुशी है **कि** नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने इस संयुक्त कार्य योजना को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है और आशा करता हूं कि एनसीबी इस कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मैं एनसीपीसीआर की टीम को बच्चों के लिए नशा मुक्त समाज के सपने को साकार करने की उनकी यात्रा में सफल होने की शुभकामनाएं देता हूं।

Rakesh Asthaana

राकेश अस्थाना 5-2-2021

"ड्रग्स को 'ना' जीवन को 'हां'"

प्रियंक कानूनगो
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
नई दिल्ली-110001

NCPCR

संदेश एवं आभार

गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत जिसका का अर्थ है "सब का उदय"या "सभी की प्रगति,"एक क्रांतिकारी संकल्पना है जो आज की 21 वी शताब्दी में भी विशेष रूप से मेकिंग न्यू इंडिया ए वर्ल्ड लीडर में भी लागू होती है। द विजन ऑफ न्यू इंडिया देश के बच्चों और युवा का कल्याण किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सांविधिक निकाय है। बच्चों को नशीली दवाओं की लत के खतरे के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करने को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और बच्चों और युवाओं को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने के लिए उचित माहौल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी हैं।

अतः बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के विरुद्ध **'एक युद्ध नशे के विरुद्ध'** लड़ाई करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों, संस्थाओं, एजेंसियों द्वारा देश में बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए किए गए प्रयासों को सुव्यवस्थित और नीतिगत बनाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है। यह कार्य योजना बच्चों को नशीली दवाओं की लत से छुड़ाने के लिए और समय बद्ध तरीके से अथक प्रयास करके बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से दूर रखने और स्कूलों/ शैक्षणिक और बाल देखभाल संस्थाओं के आसपास के क्षेत्रों में नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में परिकल्पित की गई है। इसमें फार्माक्यूटिकल औषधियों पदार्थों और बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों के रूप में सेवन किए जाने वाले अन्य प्रकार की चीजों की पहुंच से दूर रखने के लिए कुछ रणनीतिक हस्तक्षेप को भी शामिल किया गया है।

संयुक्त कार्य योजना का कार्य श्री राकेश अस्थाना, महानिदेशक नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन दिया। एनसीपीसीआर को इस दस्तावेज को तैयार करने और वर्णित करने में श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो से निरंतर

सहयोग मिला। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सुश्री बी राधिका, डीडीजी और एनसीबी की टीम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनडीडीटीसी, ऐम्स, सैनिक स्कूल- रक्षा मंत्रालय, एनसीसी और सीडीएससीओ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। इन सभी ने इस संयुक्त कार्य योजना के मूल ढांचे को तैयार करने में 15 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में भाग लिया।

मैं आयोग के सभी सदस्यों श्री यशवंत जैन (बच्चों से संबंधित कानून) डॉक्टर आरजी आनंद,(बाल मनोविज्ञान और समाज विज्ञान) सुश्री प्रज्ञा परांडे(किशोर न्याय) सुश्री रोजी **ताबा** (बाल श्रम) और सुश्री रूपाली बनर्जी, सदस्य सचिव का धन्यवाद करता हूं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सुश्री अनु चौधरी रजिस्ट्रार का भी धन्यवाद करता हूं उन्होंने कानून संबंधी जानकारी दी। मैं सुश्री निधि शर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता को कानूनी पुनरीक्षण के लिए, डॉ मधुलिका शर्मा, सलाहकार (शिक्षा) श्री परेश शाह, एस टी ई (एन ई सेल) का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी देकर सहयोग दिया। मैं सुश्री शास्ता के शाह, एस टी ई (स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान) का इस प्रमुख दस्तावेज के समन्वयन और ड्राफ्ट तैयार करने में अथक प्रयास करने के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। मैं श्री दुष्यंत महर परामर्शदाता (कार्यक्रम योजना एवं अनुसंधान सेल) का संयुक्त कार्ययोजना को सही आकार देने और अंतिम रूप देने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।

एनसीपीसीआर के सहायक अंग राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों ने (एससीपीसीआर) प्रतिकूल समय में भी बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सतत और निस्वार्थ सहयोग के बिना हम देश में बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अतः मैं सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का देश के बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद और सराहना करता हूं।

कोई योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन उसकी सफलता तो उसकी यात्रा में ही निहित होती है कि कैसे उसे यथार्थ रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है अतः मैं सभी प्राधिकारियों, एजेंसियों, कर्तव्य वाहकों, हित धारको, मीडिया और अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि वे इस कार्य योजना में निर्धारित अपने-अपने कर्तव्य को निभाएं। यह यात्रा नशा मुक्त भारत-ड्रग्स फ्री इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा है ताकि विजन ऑफ न्यू इंडिया-एक महान भारत के सपने को साकार किया जा सके ।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चे खास होते हैं क्योंकि अभी वह प्रारंभिक वर्षों में होते हैं यह पूरी कवायद और हस्तक्षेप बच्चों के इर्द गिर्द ही होते हैं अतः मैं सभी से यह आग्रह करता हूं कि वह बच्चों के लिए सशक्त परिवेश बनाएं और नशीली दवाओं विशेष रुप से बच्चों में नशीली दवा के खतरे को संवेदनशील तरीके से दूर करने का प्रयास करें।

जय हिंद-जय भारत

(प्रियंक कानूनगो)
08.02.2021

संक्षेपाक्षर

अर्श	-	किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य
एएफटी	-	अतिरिक्त उपचार **सुविधाएं**
एटीएस	-	एक्फेटेमिन प्रकार उत्तेजन
बीपीआर और डी	-	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
सीबीएससी	-	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीडीएससीओ	-	केंद्रीय औषधि **मानक** नियंत्रण संगठन
सीसीआई	-	बाल देखभाल संस्थान
सीआईएसएस	-	सड़कों पर रह रहे बच्चों की **स्थितियां**
सीओटीपीए	-	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का **निषेध** और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003
सीडब्ल्यू सी	-	बाल कल्याण समिति
सीडब्ल्यू पी ओ		बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डीसीपीयू	-	जिला बाल संरक्षण इकाई
डीईओ	-	जिला शिक्षा अधिकारी
डीजीएचएस	-	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
जीएसडीसी	-	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
आईसीएसई	-	भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र
जे एंड पी	-	सयुक्त कार्य योजना
जे जे एक्ट	-	किशोर न्याय बालको की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015)
एमआईएस	-	प्रबंधन सूचना प्रणाली
मो एच एफ डब्ल्यू	-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मो.एस. जे.डब्ल्यू	-	सामाजिक न्याय और अधिकारिकता **मंत्रालय**
एन ए पी डीडीआर	-	मादक द्रव्यों के मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
एनसीबी	-	नारकोटिक्स नियंत्रयण ब्यूरो
एनसीसी	-	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीईआरटी	-	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीपीसीआर	-	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनडीडीटीसी	-	राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र
एनडीपीएस	-	स्वापक (नारकोटिक्स **औषधि** और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम)
एनजीसी	-	राष्ट्रीय हरित कोर
एनजीओ	-	गैर सरकारी संगठन (अशासकीय संस्था)
एनआईएसडी	-	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
एनएसएस	-	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनपीएसी	-	राष्ट्रीय बाल कार्य योजना
आरबीएस के	-	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
एससीपीसीआर	-	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
एसजेपीयू	-	विशेष किशोर पुलिस इकाई (जुवेनाइल स्पेशल पुलिस यूनिट)
एसएमसी	-	स्कूल प्रबंधन समिति (विद्यालयय प्रबंधन समिति)
टोएफईआई	-	तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
यूएलबी	-	शहरी स्थानीय निकाय
यूएनसीआरसीयूटी	-	बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
यूटीएस	-	केंद्र शासित प्रदेश

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पेज
1.	प्रस्तावना	10
2.	विधायी और अन्य सशक्त प्रावधान	12
3.	सामान्य मादक पदार्थ और बच्चों द्वारा उनके उपयोग की सीमा	24
4.	नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के प्रकार: एक परिचय	27
5.	मुख्य मुद्दे और बच्चों के संबंध में चुनौतियां	29
6.	हस्तक्षेप, कार्यक्रम, रिपोर्ट करना और मॉनिटर करना	30
7.	किसी फार्मेसी/केमिस्ट की दुकान द्वारा किसी बच्चे को बिना प्रिसक्रिप्शन के अनुसूची एच, या एक्स की नशीली दवाओं की बिक्री	39
8.	नारकोटिक्स ड्रग्स और मन: प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम के अधिनियम 1988 के अंतर्गत "बंदी" के लिए प्रावधान का अधिकतम उपयोग	42
9.	बच्चों में मादक पदार्थों की लत का जल्दी पता लगाने का तंत्र	42
10.	नशीली दवाओं और पदार्थों का प्रयोग करने वाले समस्याग्रस्त बच्चों के लिए अलग या विशिष्ट नशा मुक्ति और पुनर्वास सुविधाएं	45
11.	ड्रग्स और मादक पदार्थों का प्रयोग करने और सड़क पर रहने वाले बच्चों के संबंध में	45
12.	बच्चों द्वारा प्रयुक्त इनहेलेंट्स की पहुंच तक रोक लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही	45
13.	सोशल मीडिया अभियान	46
14.	स्कूल के पाठ्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव संबंधी शिक्षा को शामिल करना	47
15.	प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	47
16.	हितधारकों और विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना और मॉनिटर करना	47
17.	बच्चों द्वारा ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मुख्य मुद्दों /समस्याओं पर हस्तक्षेप	49
18.	अनुलग्नक	69

1. प्रस्तावना

1.37 बिलियन आबादी वाला भारत विश्व में सर्वाधिक दूसरा घनी आबादी वाला देश है इसकी कुल जनसंख्या का 39% बच्चे हैं बच्चों का कल्याण बहुत जरूरी है । तथापि बच्चों और किशोरों में ड्रग और मादक पदार्थो का सेवन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। भारत में यह चिंताजनक दर से बढ़ रहा है अतः इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए तथा पहले से नशे की लत में पड़े हुए व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए जिसमें नशा मुक्ति सुविधा शामिल है, अथक प्रयास करने होंगे। वस्तुत: का यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा संबंधी समस्या है अत: इसका समाधान सावधानीपूर्वक करना होगा क्योंकि इसका समाधान केवल चिकित्सा करने से नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति, उसके परिवार, उसके मित्र, समाज सरकार विधिक तंत्र, सबको मिलकर इस समस्या का निदान करना होगा अतः देश में बच्चों में नशाखोरी और मादक पदार्थों के सेवन को रोकने की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों संस्थानों और एजेंसियों की कार्य नीतियों और प्रयासों को व्यवस्थित करने के लिए उच्चतम स्तर पर संयुक्त कार्य योजना बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

नशाखोरी की समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक समिति बनाई गई। यह समिति नारकोटिकस नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिलकर बनाई गई है। समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्य मंत्रालय, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को आमंत्रित किया। एनसीपीसीआर और एनसीबी ने भी संयुक्त कार्य योजना कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अलग से विचार विमर्श किया।

बच्चों में नशाखोरी और मादक पदार्थों के सेवन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक कार्य जिम्मेदार अधिकारियों और टाइमलाइन निर्धारित किए गए और इन्हें लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों, मॉनिटरिंग निकायों और सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए यहां बताया जा रहा है।

संयुक्त कार्ययोजना में अपनाए गए मुख्य सिद्धांत /कार्य नीतियां निम्नलिखित हैं:

1.सभी संबंधित प्राधिकारियों और सेवा प्रदाताओं द्वारा मिलकर कार्य करना

2.सेवाओं /सुविधाओं जहां आवश्यक हो, के लिए प्रावधान करना।

3. कार्य योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन।

4. सभी हस्तक्षेपों की साथ-साथ मॉनीटरिंग करना।

5 कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना।

यह निम्नलिखित कार्यों के लिए बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना का फ्रेमवर्क है:-

1.बच्चों को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का प्रयोग करने से रोकना ।

2. मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की बिक्री को रोकना ।

3. नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का सेवन कर रहे बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए विभिन्न मौजूदा स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतियों को कवरेज देना ।

4. बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के उपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम में विभिन्न हितधारियों की भूमिकाएं और दायित्व उजागर करना और उनकी क्षमता बढ़ाना ।

5. जागरूकता बढ़ाना और सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुकरण करना ।

6. स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, और फार्मेसी के आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाएं और मादक पदार्थ बच्चों को नहीं मिल पा रही है।

7. बच्चों को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की बिक्री, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में बच्चों का ।उपयोग और इससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपबंधित कानूनी उपबंधों को और सशक्त बनाना और उनका प्रवर्तन सुनिश्चित करना

8. सभी हितधारियों के मिले-जुले प्रयासों के माध्यम से बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में जीरो टोलरेंस नीति अपनाना।

2. वैधानिक और अन्य सक्षम प्रावधान

स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और 2014 तक इसके संशोधन और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) नियम 1985 और 2019 तक इसके संशोधन

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 को स्वापक औषधियों से संबंधित कानूनों के समेकन और संशोधन करने के उद्देश्य से तथा स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए स्वापक और मन: प्रभावी औषधियों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उस में प्रयुक्त संपत्ति के समपहरण का उपबंध करने के लिए स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करने के लिए एनडीपीएस संशोधन अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया।

सक्षम प्रावधान

धारा ***27. किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के उपयोग के लिए दंड:-*** जो कोई, किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का उपभोग करेगा, वह-

(क) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ, जिसका उपभोग किया गया है, कोकेन , मार्फिन, डाइऐसीटल मार्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मन:प्रभावी पदार्थ है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां कठोर कारावास से, जिससे अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, और

(ख) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का उपभोग किया गया है, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है वहां, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपय तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

धारा ***32ख न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जानेवाली बातें-*** जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां न्यायालय, कारावास की न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम से उच्चतर कोई दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें यह ठीक समझे, निम्नलिखित बातों को विचार में ले सकेगा, अर्थात्-

(क) यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करनेमें उस पद का लाभ उठाया है:

(ख) यह तथ्य कि अपराध द्वारा अवयस्क प्रभावित होते हैं या उस अपराध के किए जाने के लिए अवयस्कों का उपयोग किया जाता है:-

(ग) यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में, जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते-जाते हैं, किया जाता है:

3. ***धारा 71. व्यसनियों की पहचान, उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदर्थों के प्रदाय के लिए केंद्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति-***

1- सरकार व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा पश्चात्वर्ती देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुन:एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास ***रजिस्ट्रीकृत*** व्यवसनियेां को और अन्य व्यक्तियों को संबंधित सरकार द्वारा किन्ही स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों का प्रदाय किए जाने के लिए ***वहां*** ऐसा प्रदाय ***चिकित्सीय*** आवश्यकता है। ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उतने केंद्रों को स्थापित कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी या अनुमोदित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे।

2. सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबंध और अधीक्षण तथा वहां से स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए और ऐसे केंद्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

4 ***नियम 52जी- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी और प्रिसक्रिप्शन से संबंधित शर्तें:-*** अनिवार्य नारकोटिक्स औषध की आपूर्ति, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी प्रिसक्रिप्शन की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ही दी जाएगी यथा:-

i) प्रिसक्रिप्शन लिखित में होना चाहिए और उस पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा तारीख और हस्ताक्षर और अपना पूरा नाम, पता पंजीकरण संख्या लिखी जाएगी और उसमें उस व्यक्ति का नाम और पता दिया जाएगा जिसे प्रिसक्रिप्शन दिया गया है और सप्लाई की जाने वाली नारकोटिक ड्रग की कुल मात्रा तथा रोजाना की डोज और डोज लेने की अवधि भी लिखी जाएगी।

लेकिन यदि प्रिसक्रिप्शन पर सप्लाई की जाने वाली ऐसी औषधि कोई पेटेंट या प्रोपराइटरी दवा है तो सप्लाई की जाने वाली दवाई की मात्रा और स्ट्रेंथ लिखना ही पर्याप्त होगा।

स्वापक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और 2008 तक संशोधन और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 और 2020 तक संशोधन

स्वापक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 स्वापक औषधि और प्रसाधन सामग्री के आयात विनिर्माण वितरण और बिक्री को विनियमित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में बेची गई स्वापक औषधियां और प्रसाधन सामग्री सुरक्षित प्रभावी और निर्धारित

गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। संबंधित स्वापक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1939 और 2020 तक के इस के संशोधनों में अनुसूचियों में दी गई स्वापक औषधियों का वर्गीकरण करने के लिए उपबंध दिए गए हैं और इसमें स्वापक औषधियों और प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण बिक्री और वितरण के लिए उक्त अधिनियम और नियमों में उपबंध निर्धारित किए गए हैं।

सक्षम प्रावधान

नियम 65 (3)1 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की प्रिसक्रिप्शन पर किसी ड्रग (अनुसूची एक्स में विनिर्दिष्ट ड्रग को छोड़कर) की सप्लाई को इस प्रयोजन के लिए रखे गए प्रिसक्रिप्शन रजिस्टर में सप्लाई के समय दर्ज किया जाएगा और रजिस्टर में प्रविष्टि की क्रम संख्या प्रिसक्रिप्शन पर दर्ज की जाएगी ।

नियम 65(3) एच: अनुसूची एच 1 में विनिर्दिष्ट ड्रग की सप्लाई एक अलग रजिस्टर में सप्लाई के समय प्रीस्क्राइवर का नाम और पता, रोगी का नाम, औषधि का नाम और सप्लाई की जाने वाली मात्रा दर्ज की जाएगी और ऐसे रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए 3 वर्ष के लिए उपलब्ध रहेंगे।

नियम 65 (9) ए अनुसूची एच और अनुसूची (h1) या अनुसूची एक्स में विनिर्दिष्ट पदार्थ पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की प्रिसक्रिप्शन पर और उसके अनुसार ही रिटेल द्वारा बेचे जाएंगे और अनुसूची एक्स में विनिर्दिष्ट पदार्थों के मामले में प्रिसक्रिप्शन दो प्रतियों में होगा। इनमें से एक प्रति लाइसेंसी द्वारा 2 वर्ष के लिए रखी जाएगी।

नियम 65 (9) बी: अनुसूची एच और (अनुसूची h1) या अनुसूची एक्स में विनिर्दिष्ट औषधियों की आपूर्ति पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों, अस्पतालों डिस्पेंसरियों और नर्सिंग होम को लिखित में हस्ताक्षरित आर्डर पर ही की जाएगी और यह आर्डर लाइसेंसी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए संभाल कर रखा जाएगा।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण (कोटपा) अधिनियम 2003 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम

कोटपा, 2003 अधिनियम भारत की संसद का अधिनियम, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का निषेध करना और व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन आपूर्ति और वितरण के विनियमन के लिए उपबंध करने के लिए है।

सक्षम प्रावधान

धारा 3 (एल) सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे वह साधिकार हो या ना हो और उसमें ऑडिटोरियम, अस्पताल भवन, रेलवे प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, सरकारी कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थान, पुस्तकालय, सरकारी वाहन और इसी प्रकार के अन्य स्थान शामिल है जहां आम जनता आती जाती है लेकिन इसमें कोई खुला स्थान शामिल नहीं है।

धारा 4: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा।

धारा 6 : 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और किसी विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का निषेध- कोई व्यक्ति

क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का हो; और

ख) किसी ऐसे क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अंदर हो
न तो सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचेगा या बेचने का प्रस्ताव करेगा या बेचने की अनुमति देगा।

धारा 24 (1) कुछ स्थानों पर या18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए दंड-कोई व्यक्ति जो धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम के अधीन दोषी होगा और जुर्माने का दंडनीय होगा और यह जुर्माना ₹200 तक का हो सकता है।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध संयोजनीय होंगे और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में संक्षिप्त मुकदमे के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त मुकदमा चलाया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध नियम 2008

नियम 3 सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान का निषेध

(1) यह मालिक, स्वामी, प्रबंधक पर्यवेक्षक या सार्वजनिक स्थान के मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(2) (क) पब्लिक स्थान में उसके क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा (उसके क्षेत्राधिकार/आशयित)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बोर्ड पर प्रदर्शन नियम 2009

नियम (5) 18 वर्ष **से कम आयु के** व्यक्तियों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिषेध

1. किसी स्थान का स्वामी या प्रबंधक या कार्य प्रभारी जहां सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं सुनिश्चित करेगा कि:

क) "18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है" ऐसी चेतावनी का एक बोर्ड उस स्थान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करेगा जहां सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं। लेकिन ऐसे बोर्ड पर सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन या बढ़ावा देने वाला संदेश या तस्वीर या छवि नहीं होगी

ख) कोई तंबाकू उत्पाद किसी वेंडिंग मशीन के द्वारा नहीं बेचा जाता

ग) कोई तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा इधर-उधर नहीं रखा जाता या बेचा जाता

घ) तंबाकू उत्पाद ऐसे तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जाते जहां 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद आसानी से मिल सके

(2) यह साबित करने का भार कि तंबाकू उत्पाद का खरीदार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं है तंबाकू उत्पादों के विक्रेता का होगा और संदेह होने के मामले में विक्रेता खरीदार को उपयुक्त साक्ष्य या 18 वर्ष की आयु होने का आयु प्रमाण देने के लिए अनुरोध कर सकता है।

नियम 2(ख) शैक्षिक संस्थान से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या केंद्र से है जहां विशिष्ट मानदंडों के अनुसार शैक्षिक शिक्षा दी जाती है और इसमें कोई स्कूल /कॉलेज या समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उच्च शिक्षा संस्था शामिल है।

नियम 3 शैक्षिक संस्थानों द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन

(1) बोर्ड का प्रदर्शन:- शैक्षिक संस्थान का मालिक या प्रबंधक या कार्य प्रभारी व्यक्ति परिसर के बाहर सहज दृश्य स्थान पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा और उसमें यह उल्लेख करेगा की शैक्षिक संस्थान के 100 गज के दायरे के अंदर किसी क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतया प्रतिषिद्ध है और यह किअधिनियम की धारा 24 के अधीन यह जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है जो कि ₹200 तक का हो सकता है।

(2) दूरी का मापन:- उप नियम (1) में 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्थान से के यथास्थिति बाउंड्री वॉल, बाढ़ की बाहरी सीमा से शुरू करते हुए रेडियली मापी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन का प्रतिषेध, (विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम 2019

यह अधिनियम लोगों को नुकसान से बचाने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का और इससे जुड़े या इसके अनुषंगिक मामलों का प्रतिषेध करता है।

सक्षम प्रावधान

धारा 4:- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, विज्ञापन पर प्रतिषेध :-इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को और उस तारीख से कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,

i) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट चाहे पूरा उत्पाद या उसका कोई भाग हो, का उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री या वितरण नहीं करेगा और

ii) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के प्रयोग को बढ़ावा देता।

धारा 5 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के भंडारण पर प्रतिषेध-इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को और उस तारीख से कोई व्यक्ति चाहे किसी स्थान कामालिक हो या कब्जा धारी हो या या उसका प्रयोग करता हो जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के किसी स्टॉक के भंडारण के प्रयोग की अनुमति नहीं देगा; लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के मौजूदा भंडारण को जो बिक्री वितरण परिवहन निर्यात या विज्ञापन के लिए रखा गया है निम्नलिखित तरीके से निपटान करे।

क. उस स्थान का मालिक या कब्जा धारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के मौजूदा स्टाक के संबंध में स्वप्रेरणा से अपने कब्जे में रखे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ऐसे स्टॉक की सूची तैयार करेगा और अनावश्यक विलंब के बिना प्राधिकृत अधिकारी के निकटतम कार्यालय में सूची में यथा विनिर्दिष्ट स्टॉक जमा करवा देगा।

ख. प्राधिकृत अधिकारी जिसके पास खंड (क) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का कोई स्टॉक भेजा गया है वह सुविधाजनक डिस्पैच के साथ ऐसे उपाय करेगा जो तत्समय लागू कानून के अनुसार निपटान के लिए यथा आवश्यक हों।

स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ में अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988

यह अधिनियम स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार की रोकथाम के प्रयोजन और उससे जुड़े कुछ मामलों के लिए कुछ मामलों में नजरबंदी का प्रावधान करने के लिए है। स्वापक औषधियों और **मनः** प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

सक्षम प्रावधान

धारा 3. कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिए आदेश करने की शक्ति-

(1)- केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी का स्टेट्स सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न का नहीं है और जो उस सरकार द्वारा धारा के

प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है, या राज्य सरकार किसी अधिकारी का, जो उस सरकार सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है और उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों में विशेष रूप से सशक्त किया गया किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विदेश भी है) की बाबत यह समाधान हो जाता है कि स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यपार में लगने से उसे निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देते हुए।

(2)- जब निरोध का कोई आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तब राज्य सरकार, आदेश की बाबत एक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को दस दिन के भीतर भेजेगी।

(3)- संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को उन आधारों की जिन पर आदेश किया गया है, संसूचना निरोध के पश्चात् यथा शीघ्र किंतु साधारणत: निरोध की तारीख से पांच दिन के पश्चात् और आपवादिक परिस्थितियों में और उनके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके **पंद्रह** दिन के पश्चात् दी जाएगी।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और इसके 2018 तक संशोधन और नियम 2016 और इसके 2019 तक संशोधन

जेजे अधिनियम 2015 विधि के उल्लंघन में अभियुक्त और दोषी पाए गए और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित कानून और समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने, मित्रवत दृष्टिकोण अपनाकर न्याय निर्णयन करने और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों का निपटान करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका पुनर्वास करने और संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनका पुनर्वास करने से संबंधित विधि को समेकित करने और संशोधित करने के लिए है।

सक्षम प्रावधान

धारा 77:-किसी बच्चे को मादक लिकर या मने प्रभावी पदार्थ या नारकोटिक ड्रग देने के लिए दंड,:-जो कोई व्यक्तिकिसी विधिवत अहर्ता प्राप्त चिकित्सा व्यवसाय के आदेश के सिवाय किसी बच्चे को मादक लिकर या नारकोटिक ड्रग या तंबाकू उत्पाद या मन:प्रभावी पदार्थ देता है या दिलवाता है वह कठोर कारावास के दंड जो 7 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकता है से दंडनीय होगा।

धारा 78:-किसी मादक लिकर , नारकोटिक ड्रग प्रभावी ने पदार्थों की वेंडिंग, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने में बच्चे का उपयोग: जो कोई-किसी मादक लिकर, नारकोटिक ड्रग ने प्रभावी पदार्थों की वेंडिंग, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने में बच्चे का

उपयोग करेगा वह कठोर कारावास के दंड जो 7 वर्ष तक की अवधी का हो सकता है और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकता है से दंडनीय होगा।

नियम 56 के अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया

जब कोई बाल मदांध वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मन: प्रभावी पदार्थों में अथवा तंबाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में, बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित, पाया जाता हो तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक किस प्रकार से ऐसे मदांध शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मन: प्रभावी पदार्थों अथवा तंबाकू उत्पादों के प्रभाव में आया अथवा लत पड़ी तथा प्र सू री दर्ज करेगा

2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मन: प्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया है अथवा इनके प्रभाव में आया हुआ पाया जाता है उसे या तो बोर्ड या समिति तथा यथास्थिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास तथा नशे के छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी।

3) यदि कोई बाल मदांध करने वाली शराब अथवा तंबाकू उत्पादों का आदि पाया जाता है, बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानांतरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।

4) यदि कोई बाल मदांध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा प्रभावी पदार्थ अथवा तंबाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां बालक बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किए जाने के की स्थिति में ना हो तथा तुरंत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो

5) बोर्ड स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगा

6) बोर्ड अथवा समिति उन परिस्थितियों जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देखभाल संस्था में प्रविष्ट हुए बालक तक पहुंच के बारे में जांच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदाधिकारियों तथा देखभाल संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की अनुशंसा करेगी।

7) यथास्थिति बोर्ड अथवा समिति बालक को किसी दूसरी बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरण जैसा भी मामला हो के लिए भी निर्देश जारी करेगी।

8)मदांध करने वाली शराब तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदांध करने वाली शराब या तंबाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का सक्षम कारावास तथा ₹एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

9) सभी तंबाकू उत्पाद और मदद करने वाली मदांध करने वाली शराब पर अवश्य ही संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदांध करने वाली शराब अथवा तंबाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

10) किस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदांध करने वाली शराब स्वागत नशे के पदार्थ अथवा मने प्रभावी पदार्थ अथवा तंबाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस नियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

नियम 57. किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण)अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया

(1)जब कभी कोई बाल मदांध करने वाली शराब, स्वागत नशीली दवाएं या मन: प्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता हुआ या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी बालक पर कैसे और किसके संग मदांध करने वाली शराब, स्वागत नशीली स्वापक नशीली दवाओं अथवा मन: प्रभावी पदार्थों की लत पड़ी तथा तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी।

(2) कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभी कथित है उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा यदि बाल देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद है तो उसे बोर्ड, समिति के पास भेजेगा।

भारत के संविधान, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 राष्ट्रीय बाल नीति 2013 और राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधान

भारत का संविधान

अनुच्छेद 15 (3) अनुच्छेद राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने से रोक नहीं सकता।

अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 39 (एफ) बालकों को स्वतंत्र और गारिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बाल को और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

4. अनुच्छेद (47) पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधारने का राज्य का कर्तव्य: राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधारने और अपने प्राथमिक कर्तव्यों को निष्पादित करेगा और

विशेष रूप में राज्य चिकित्सा प्रयोजन के लिए मादक पेय पदार्थों और ड्रग्स जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है को छोड़कर उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989

अनुच्छेद 33: संगत अंतरराष्ट्रीय संधियों में नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के रूप में परिभाषित पदार्थों के अवैध उपयोग से बच्चों को बचाने, और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन और तस्करी में बच्चों के उपयोग को रोकने के लिए, राज्यों **पक्षों के** नियामक, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपायों सहित सभी उचित उपाय करेंगी।

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016

उप-उद्देश्य 1.5: एआरएसएच [किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य], उचित जीवन शैली एवम् स्वास्थ विकल्पों तथा अच्छे आचरण पर जानकारी व सहयोग और शराब तथा मादक पदार्थ के दुष्प्रभावों पर जागरूकता के साथ-साथ किशोरों को उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक जानकारी, सहयोग और सेवाएँ प्रदान करना। प्रमुख रणनीतियों में निम्नलिखित पर प्राथमिकता वाली कार्रवाई शामिल है:

- सोशल मीडिया के उपयोग सहित विभिन्न संचार विधियों का उपयोग करते हुए बच्चों के अधिकारों और हकों तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन ज्ञान और जीवन-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
    - एआरएसएच कार्यक्रम लागू करना।
- किशोरों के लिए परामर्श, नशामुक्ति और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- उचित जीवन शैली, स्वस्थ विकल्प, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए नागरिक समाज संगठनों, व्यापारिक घरानों और मीडिया को प्रोत्साहित करना।
    - नियमित स्कूल गतिविधि और पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    - स्कूलों और सीसीआई में बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान करना।

रणनीति 1.5.2: किशोरों के लिए परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं: सभी जिलों में शराब और नशीली दवाओं के पुनर्वास केंद्रों की उपलब्धता; और नियमित स्कूल गतिविधि और पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता।

रणनीति 1.5.3: नागरिक समाज संगठनों, व्यावसायिक घरानों और मीडिया को शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सार्थक रूप से जोड़ना: गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), व्यावसायिक घरानों और मीडिया हाउसों को स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ जुड़ने

और अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्यता, स्वच्छता पर जोर देने के साथ-साथ शराब, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना।

शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों पर संवेदीकरण सहित अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्यता और स्वच्छता परिपाटी पर जोर देने के साथ, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य स्कूलों के साथ परिवारों और समुदायों के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

इस नीति मे निम्नलिखित को मान्यता दी जाती है:

1. बचपन जीवन का एक अभिन्न अंग और इसका अपना महत्व है।
2. बच्चे एक समरूप समूह नहीं हैं और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं, विशेष रूप से विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली बहुआयामी अतिसंवेदनशीलताओं के लिए अलग-अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
3. प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है।

इस नीति में आगे उल्लेख किया गया है कि उचित जीवन शैली और स्वस्थ विकल्पों पर जानकारी व सहयोग और शराब तथा मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों पर जागरूकता के साथ राज्य किशोरों को उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। इसमें यह भी उल्लेख है कि:

"4.11 राज्य सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और पुन:एकीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ विशेष रूप से उनकी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों परंतु ये प्रवास, विस्थापन, जातिगत या सांप्रदायिक हिंसा, सिविल अशांति, आपदाओं और विपत्तियों से प्रभावित बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, यौनकर्मियों के बच्चों, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मजबूर बच्चों, प्रतांडित और शोषित बच्चों, भीख मांगने के लिए मजबूर बच्चों, संघर्ष में और कानून के साथ संपर्क मे बच्चों, श्रम की स्थिति में बच्चे, कैदियों के बच्चे, एचआईवी / एड्स से संक्रमित / प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चे, हाथ से मैला ढोने वालों के बच्चे और सामाजिक रूप से बहिष्कृत किसी अन्य समूह के बच्चे, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चे और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की किसी अन्य श्रेणी तक सीमित न हों, द्वारा निर्धारित किए गए उनके अधिकारों और हितों को सुरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य

इस नीति में प्रासंगिक गैर-स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व वाले निकायों के गठन के

माध्यम से अधिकतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को संस्थागत बनाने की स्पष्ट व्याख्या की गई है। यह सभी के लिए स्वास्थ्य के पूरक के रूप में उभरते अंतरराष्ट्रीय "सभी स्वास्थ्य रहें" दृष्टिकोण के अनुरूप है। नियामक प्रावधानों को लागू करके स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का प्रभावी ढंग से पता लगाने हेतु एक सशक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग इस नीति की पहली आवश्यकता है। स्वास्थ्य हेतु पर्यावरण में सुधार के लिए इस नीति में इन सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई निर्धारित की जाती है:

- स्वच्छ भारत अभियान
- संतुलित, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम।
- तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकना
- यात्री सुरक्षा - रेल और सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना
- निर्भय नारी–महिला हिंसा के खिलाफ कार्रवाई
- कार्यस्थल पर कम तनाव और बेहतर सुरक्षा
- घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण को कम करना। (जोर दिया गया)

3.3.5 (पृष्ठ 10) अर्बन हेल्थ केयर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध मलिन बस्तियों में रहने वाली गरीब आबादी, बेघर, कचरा बीनने वाले, सड़क पर रहने बच्चों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिक, यौनकर्मी और अस्थायी प्रवासी जैसी अन्य असुरक्षित आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति में शहरी स्वास्थ्य देखभाल में आयुष कर्मियों के उपयोग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति को देखते हुए, इस नीति में लाभ क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि लाभ के लिए शहरी स्वास्थ्य देखभाल वितरण हेतु साझेदारी के स्थायी मॉडल विकसित करने की संभावनाओं की खोज करने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों - वायु प्रदूषण, बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, व्यावसायिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, आवास, वेक्टर नियंत्रण, और हिंसा और शहरी तनाव में कमी लाना इस शहरी स्वास्थ्य नीति का एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र होगा। ये आयाम भी स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण घटक हैं। एनयूएचएम के अंतर्गत शहर के चारों-ओर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे उच्च तनाव, मधुमेह, जो शहरी क्षेत्रों में प्रमुख हैं, को एनयूएचएम के तहत नियोजित प्रारंभिक पहचान के माध्यम से ठीक किया जाएगा। बेहतर सेकेंड्री रोकथाम भी शहरी स्वास्थ्य रणनीति का एक अभिन्न अंग होगा। समुदाय आधारित संगठनों के क्षमता निर्माण से प्रभावित होकर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करनें का दृष्टिकोण, और एक उपयुक्त रेफरल तंत्र की स्थापना भी इस रणनीति के महत्वपूर्ण घटक होंगे।

3 सामान्य मादक पदार्थ और बच्चों द्वारा उनके उपयोग की सीमा

भारत दुनिया में सबसे बड़ी बाल आबादी वाला देश है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, वर्ग या आर्थिक पृष्ठभूमि में विविधता के बावजूद बच्चों की भलाई एक सार्वभौमिक आकांक्षा है। बच्चे अपने साथियों से जुड़ें होते हैं, जहाँ ड्रग्स और पदार्थों जैसे विषयों सहित सभी बातें साझा की जाती हैं और उन पर चर्चा की जाती हैं। युवा का जिज्ञासु मन विभिन्न अनुभवों के लिए, नई चीजों के साथ प्रयोग करने और उन्हें आजमाने के लिए तत्पर रहता है। इस स्थिति को देखते हुए, मादक द्रव्यों और नशीले पदार्थों के संपर्क में आने से वे काफी संवेदनशील हो जाते हैं। विभिन्न अध्ययन, तथ्य-खोज अभ्यास, रिपोर्ट किए गए मामले, व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन इस बात को इंगित करते हैं कि ड्रग्स और मादक द्रव्यों का सेवन, खासकर बच्चों के संबंध में चिंता का विषय है। बड़े पैमाने पर मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, जो नई पीढ़ी की सेहत के लिए हानिकारक है। कुछ प्रमुख निष्कर्ष आगे दिए गए हैं।

नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) के साथ मिलकर एनसीपीसीआर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, बच्चों और किशोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम नशीली दवाएं तंबाकू और शराब थीं, इसके बाद इनहेलेंट और भांग थे। तंबाकू की शुरुआत करने वालों की न्यूनतम औसत आयु (12.3 वर्ष) थी, इसके बाद इनहेलेंट लेने वाले की (12.4 वर्ष), भांग लेने वाले (13.4 वर्ष), शराब पीने वाले (13.6 वर्ष), अधिक नशीले पदार्थों जैसे अफीम, फ़ार्मास्यूटिकल ओपिओइड और हेरोइन, और इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थ लेने वाले औसतन (15.1 वर्ष) के थे।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कानून का उल्लंघन करने वाले सभी बच्चे नशीली दवाओं के आदी थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि सीसीआई के 95.5 प्रतिशत बच्चों ने भी नशीली दवाओं का सेवन किया, और इसी तरह सड़क पर रहने वाले 93 प्रतिशत बच्चों ने भी नशीली दवाओं का सेवन किया।

एसोचैम लेडीज लीगऑन द्वारा 2000 बच्चों को शामिल करते हुए किए गए एक अन्य अध्ययन "मेट्रो सिटीज में स्ट्रीट चिल्ड्रेन का सिचुएशनल एनालिसिस" से पता चला है कि महानगरों में बच्चे इनहेलेंट (35 प्रतिशत), शराब (12 प्रतिशत), भांग (16 प्रतिशत), तंबाकू और गुटखा चबाने (16 प्रतिशत) और धूम्रपान (21 प्रतिशत) सहित एक या अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग के शिकार थे।

भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग के परिमाण का आकलन करने के लिए सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय और एनडीडीटीसी द्वारा, "भारत में नशीले पदार्थ के उपयोग का परिमाण- 2019", नाम से किए गए अध्ययन से मादक द्रव्यों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का पता चला। जेएपी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि बच्चों और किशोरों में इनहेलेंट के उपयोग का प्रचलन बहुत अधिक है। अनुमानित 4.6 लाख बच्चों को उनके इनहेलेंट उपयोग (हानिकारक उपयोग/निर्भरता) की आदत से छुटकारा पाने के लिए

सहायता की आवश्यकता है। इनहेलेंट (0.7 प्रतिशत की समग्र व्यापकता के साथ) मादक पदार्थों की एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो वयस्कों (0.58 प्रतिशत) की तुलना में बच्चों और किशोरों द्वारा वर्तमान में बढ़े पैमाने (1.17 प्रतिशत) पर उपयोग किया जाता है। वास्तव में, देश के कई राज्यों में इनहेलेंट के उपयोग से जुड़े विकारों से प्रभावित बच्चों की पर्याप्त आबादी है। भारत में हुए हालिया के शोध से यह भी पता चला है कि सड़क पर रहने वाले बच्चे इनहेलेंट उपयोग के लिए विशेष रूप से संवेदंशील आबादी हैं।

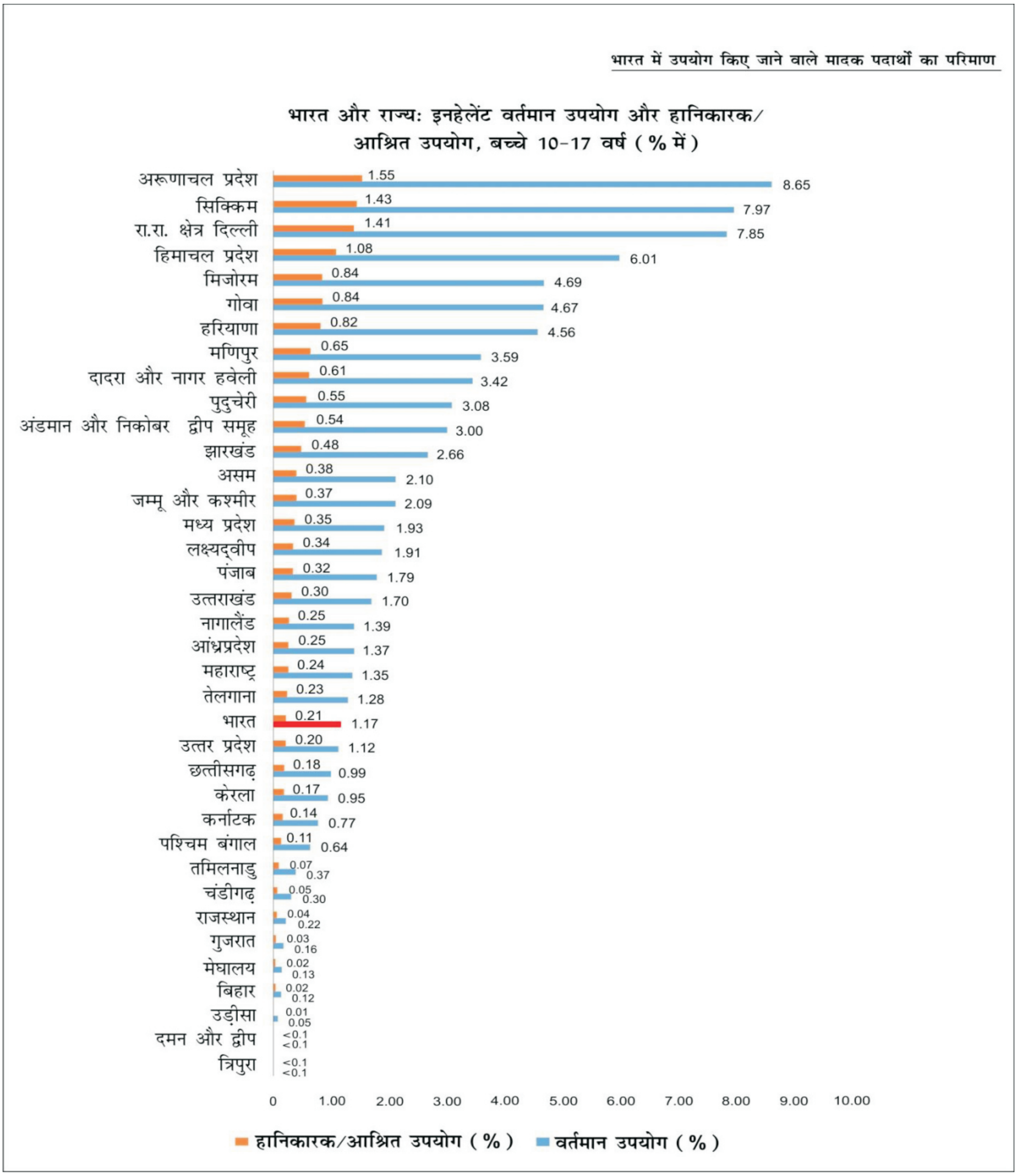

भारत के वे पांच राज्य जिममें सबसे अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इनहेलेंट उपयोग की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सहायता की आवश्यकता है: उत्तर प्रदेश, 94,000;

मध्य प्रदेश, 50,000; महाराष्ट्र, 40,000; दिल्ली, 38,000; और हरियाणा, 35,000; अन्य सभी राज्यों में कुल मिलाकर 2,01,000 बच्चे इनहेलेंट उपयोग करते हैं।

तालिका 3.1: विभिन्न जनसंख्या समूहों द्वारा उपयोग का प्रतिशत

नशीली दवा/ पदार्थ/शराब के प्रकार	कुल जनसंख्या (%)	सभी पुरुष (%)	सभी महिलाएं(%)	बच्चे 10-17 वर्ष (%)
शराब	14.6	27.3	1.6	1.3
भांग: भांग, गांजा औरचरस	2.8	5.0	0.6	0.9
ओपिओइड	2.1	4.0	0.2	1.8
इनहेलेंट	0.7	1.34	0.07	1.17

उपर्युक्त अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं, वे ज्यादातर तंबाकू और/या शराब के रूप में अवैध पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, स्कूल न जाने वाले बच्चों में, विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और संवेदनशील आबादी वाले बच्चे, वैध और इसके साथ ही अवैध दोनों ही प्रकृति में अधिक खतरनाक पदार्थों के प्रयोग करने के जोखिम में हैं। अस्पताल-आधारित नमूनों में ऐसे इनहेलेंट, भांग और अफीम उपयोगकर्ताओं, जिनके नियमित/ आश्रित उपयोगकर्ता होने की अधिक संभावना थी, के मुकाबले उपचार चाहने वाले किशोरों का अधिक जिक्र किया गया । 10 वर्ष से कम उम्र के सड़क पर रहने वाले बच्चे अक्सर तंबाकू उत्पादों से शुरुआत करते हैं। आगे चलकर उनमें से कई शराब, इनहेलेंट और भांग का उपयोग करने लगते हैं, उनमें से कुछ अंततः गांजा, हेरोइन और अन्य अफीम जैसे अवैध पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चों द्वारा कई मादक द्रव्यों का सेवन भी आम बात है।

ई-सिगरेट का उपयोग अब एक नई चिंता है और इस संबंध में, वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना एक उचित कदम है। द लैंसेट के अनुसार:

"जन स्वास्थ्य के हित में, भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल, दुनिया भर में ई-सिगरेट के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। निकोटीन की लत की समस्या के अलावा, फ्लेवरिंग एजेंटों और एडिटिव एजेंटों में उपयोग किए जाने वाले प्रोपलीन ग्लाइकोल और वेजिटेबल ग्लिसरीन जैसे तत्व भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गर्म होने पर, ये एडिटिव एजेंट विभिन्न यौगिकों का उत्पादन कर सकते हैं, जिनमें फॉर्मलाडेहाइड और एसिटालडिहाइड शामिल हैं, जो मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक हैं। ई-सिगरेट से होने वाले कचरे के निपटान और ई-सिगरेट

के निर्माण से भी संभावित पर्यावरणीय खतरे पैदा हो सकते हैं। विशेष रूप से, किशोरों में ई-सिगरेट का बढ़ता उपयोग एक विशेष चिंता का विषय रहा है, और फेफड़ों की गंभीर बीमारी ई-सिगरेट के उपयोग से जुड़ी हुई है।"

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ई-सिगरेट पर अपने श्वेत पत्र के माध्यम से सिफारिश की है कि भारत में ई-सिगरेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह सिफारिश जन स्वास्थ्य की रक्षा के हित में और नुकसान को रोकने के एहतियाती सिद्धांत के अनुसार की गई थी। श्वेत पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि ई-सिगरेट का उपयोग कितना हानिकारक हो सकता है। भारत में, सन 2019 के प्रतिबंध से पहले भी, स्वास्थ्य अधिकारियों ने न आनंद के लिए और न ही धूम्रपान बंद करने के लिए ई-सिगरेट के उपयोग की अनुमति दी थी। हालांकि, विभिन्न विपणन रणनीतियों के माध्यम से ई-सिगरेट उत्पादों ने धीरे-धीरे भारतीय बाजार में प्रवेश किया है और यह अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। दरअसल, भारत में किशोरों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग के बारे में कई मीडिया रिपोर्टों में इसके खतरों के बारे में आगाह किया है और इस पर प्रतिबंध के बावजूद, भारतीय अधिकारी विशेष रूपसे एक फलते-फूलते काले बाजार के कारण ई-सिगरेट के उपयोग को विनियमित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के देश के प्रयासों के लिए खतरा है। सन 2019 का प्रतिबंध एक सामयिक और जन स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय था लेकिन, विशेष रूप से किशोरों में, ई-सिगरेट के उपयोग को रोकना, अभी भी एक चुनौती बनी हुई है और इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस, 2009) के अनुसार, 13-15 साल के स्कूली बच्चों में तंबाकू के सेवन की व्यापकता 14.6% है।

बच्चों द्वारा विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार की नशीली दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। तथापि, साक्ष्य-आधारित निवारक हस्तक्षेपों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। संबंधित अधिकारियों, हितधारकों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा ठोस प्रयास न करने के कारण ऐसी स्थिति है।

4 नशीली दवाओं और पदार्थों के प्रकार: एक परिचय एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत नारकोटिक ड्रग्स

ये पौधों पर आधारित और पारंपरिक नशीली दवाएं हैं। भारतीय संदर्भ में, भांग के पौधे और अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त औषधियां बहुत ही सामान्य रूप से देखी जाती हैं। भांग (गांजा, भांग) के पौधों से प्राप्त गांजा और चरस (हशीश) अक्सर नशीली दवाओं के रुप में उपयोग किए जाते हैं और ये देश के लगभग सभी हिस्सों में उपलब्ध हैं। इसी तरह, अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन (ब्राउन शुगर) अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त होने वाले प्रमुख यौगिक हैं।

कानूनी रूप से, धारा 2 (xiv) के अनुसार, नशीली दवा का अर्थ है कोका पत्ता, भांग (गांजा), अफीम, पोस्त खर और इनसे निर्मित सभी सामान।

मन:प्रभावी पदार्थ

एनडीपीएस के अधिनियम, 1985 की धारा 2 (xxiii) में कहा गया है कि "मन:प्रभावी पदार्थ" का अर्थ है कोई भी पदार्थ, प्राकृतिक या सिंथेटिक, या कोई प्राकृतिक सामग्री या कोई लवण अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री तैयार करना जो अनुसूची (अनुसूची के तहत मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में 120 वस्तुएं और उनके लवण और तैयारी शामिल हैं) में निर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में शामिल हैं।

नियंत्रित पदार्थ

नियंत्रित पदार्थों के लिए तीन अनुसूचियां, ए, बी और सी हैं। अनुसूची ए के तहत पांच मदें हैं:एसिटिक एनहाइड्राइड (हेरोइन के लिए प्रेरक), एन-एसिटाइल एंथ्रानिलिक एसिड, एन्थ्रानिलिक एसिड (दोनों मेथक्वालोन के लिए प्रेरक) और इफेड्रिन और स्यूडोएफ़ेड्रिन (दोनों एम्फ़ैटेमिन / एम्फ़ैटेमिन-टाइपस्टिमुलेंट [एटीएस] के लिए प्रेरक)। पंजीकरण के माध्यम से इनके निर्माण, वितरण, बिक्री, आयात, निर्यात और खपत को नियंत्रित किया जाता है और समय-समय पर एक प्रणाली द्वारा उस क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी के पास रिपोर्ट और रिटर्न दायर की जाती है। अनुसूचियों बी और सी में 14 -14 मदें शामिल हैं, जिनका निर्यात और आयात नारकोटिक्स कमिश्नर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है।

तालिका 4.1 नशीली दवाओं का वर्गीकरण

नारकोटिक्स	❖ अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन
अवसादक	❖ बार्बिटुरेट्स, ट्रैंक्विलाइज़र
उत्तेजक	❖ एम्फ़ैटेमिन, कोकीन
हेलुसीनोजेन्स	❖ एलएसडी, चरस, गांजा, मेस्कलाइन

कोटपा, 2003 के तहत

धारा 3 (पी) के अनुसार, "तंबाकू उत्पाद" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद है: 1. सिगरेट; 2. सिगार; 3. चेरूट; 4. बीड़ी; 5. सिगरेट तंबाकू, पाइप तंबाकू और हुक्का तंबाकू; 6. तंबाकू चबाना; 7. सूंघना(स्नफ); 8. पान मसाला या कोई भी चबाने वाली सामग्री जिसमें तंबाकू एक घटक के रूप में हो (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए); 9. गुटखा; 10. तंबाकू युक्त टूथ पाउडर।

औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम(ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट), 1940 के तहत नियम, 1945

अनुसूची एच के तहत दवाएं: अनुसूची एच की दवाएं डॉक्टर के पर्चे की दवाएं हैं जिन्हें एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना नहीं बेचा जाना चाहिए।

अनुसूची एक्स के तहत दवाएं: अनुसूची एक्स की दवाएं डॉक्टर के पर्चे की दवाएं हैं जिन्हें एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना नहीं बेचा जाना चाहिए।
"अनुसूची एच, एच1, एक्स और उसमें शामिल दवाओं का विवरण सीडीएससीओ की वेबसाइट <cdsco.gov.in> पर उपलब्ध है"

5 प्रमुख मुद्दे और बच्चों क संबंध में चुनौतियां

देश में बच्चों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का उपयोग कर रहा है, इस पर उनकी निर्भरता के कारण उनमें से काफी अधिक बच्चों को तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, मौजूदा कानूनों/नियमों को कड़े तरीके से लागू करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे व्यसनों से दूर रहें।

बाजार में उपलब्ध ऐसे नशीले पदार्थ जो बच्चों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए जा रहे हैं

कई प्रकार के नशीले पदार्थ, जो लाइसेंस प्राप्त हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। हालांकि, बच्चों और किशोरों को इनसे दूर रखना चाहिए; या यूँ कहें कि इन्हें बच्चों की पहुँच से बाहर रखना चाहिए। कोटपा, 2003 के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध ऐसे पदार्थों में सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, सभी प्रकार के तंबाकू, सूंघना (स्नफ)आदि शामिल हैं। इसके अलावा, शराब भी बाजार में उपलब्ध है और किसी न किसी तरह, बच्चे इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। बच्चों को इन नशीले पदार्थों और शराब का सेवन करने से रोकना वास्तव में एक चुनौती रही है। इसलिए, इस समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना के साथ एक रणनीति की आवश्यकता है।

बच्चों तक पहुंचने वाली प्रतिबंधित नशीली दवाएं और पदार्थ

विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्ट किए गए मामलों से पता चलता है कि बच्चे और किशोर प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों को खरीद रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। ज्यादातर ये वो दवाएं और नशीले पदार्थ हैं जो एनडीपीएस अधिनियम और नियमों के तहत सूचीबद्ध हैं। मुख्य रूप से ये मादक दवाएं हैं जो देश के लगभग सभी हिस्सों में उपलब्ध हैं। भारत में इसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध के बावजूद वर्तमान में ई-सिगरेट भी बच्चों और किशोरों तक पहुंच रही है।

केमिस्ट शॉप पर उपलब्ध वे नशीली दवाएँ जो बच्चों और किशोरों द्वारा प्राप्त और उपयोग की जा रही हैं

पंजीकृत चिकित्सकों के पर्चे के बिना खुदरा द्वारा दवाओं की बिक्री के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रकों/अन्य हितधारकों को समय-समय पर सचेत किया गया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी राज्य औषधि नियंत्रकों, अन्य

हितधारकों को दिनांक 16.01.2017, 01.02.2017, 15.02.2019 एवं 23.12.2019 को विभिन्न नोटिस/सलाह/पत्र जारी किए गए हैं।

नई अनुसूची एच 1 में शामिल दवाओं की सूची में अल्प्राजोलम, डोरिपेनम, बालोफ्लोक्सासिन, एर्टापेनम, ब्यूप्रेनोर्फिन, एथमब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड, कैप्रोमाइसिन, एथियोनामाइड, सेफ्डिनिर, फेरोपेनम सेफडिटोरेन, जेमीफ्लोक्सासिन, सेफेपाइम, सेफोपेराजोन, सेफेटामेट, आइसोनियाज़ाइड, सेफिक्साइम, लेवोफ़्लॉक्सासिन, सेफ़ोपेराज़ोन, मेरोपेनेम, सेफोटैक्सिम, मिडाज़ोलम, सेफपिरोम, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सेफ्पोडॉक्सिम, नाइट्राज़ेपम, सेफ्टाज़िडाइम, पेंटाज़ोसाइन, सेफ्टिब्यूटेन, प्रुलिफ्लोक्सासिन, सेफ्टिज़ोक्सिम, पायराज़िनामाइड, सेफ्ट्रिअक्सोन, रिफ़ाब्यूटिन, क्लोरोडायज़ेपॉक्साइड, रिफैम्पिसिन, क्लोफ़ाज़िमाइन, सोडियम पैरा-अमीनोसैलिसिलेट, कोडीन, स्पाफ़्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, थियासेटाज़ोन, डायजेपाम, ट्रामाडोल, डिपेनोक्सिलेट, ज़ोलपिडेम।

इसी तरह से, अनुसूची एक्स में शामिल नशीली दवाएं हैं; अमोबार्बिटल, ग्लूटेथिमाइड, पेंटोबार्बिटल, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, एम्फ़ैटेमिन, मेप्रोबैमेट, फेनसाइक्लिडीन, बारबिटल, मेथामफेटामाइन, फेनोमेट्राज़िन, साइक्लोबार्बिटल, डेक्साम्फेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट, सेकोबार्बिटल, एथक्लोर्विनॉल, मिथाइलफेनोबार्बिटल।

हालांकि ये मूल रूप से नुस्खे वाली दवाएं हैं जिन्हें एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना बेचा नहीं जा सकता है; तथापि, ऐसे कई मामले हैं जिनमें बच्चों और किशोरों सहित वयस्क लोगों द्वारा शामक और कृत्रिम निद्रावस्थक के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है।

6: हस्तक्षेप, कार्यक्रम, रिपोर्टिंग और निगरानी

मुख्य मुद्दा: स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों/ बच्चों के लिए बने संस्थानों, जैसे कि कोचिंग सेंटर, सीसीआई, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केंद्र और बच्चों के पार्क के आस-पास के क्षेत्र में शराब, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की दुकानें।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों/सीसीआई के आस-पास के क्षेत्रों में मादक द्रव्यों, शराब और अन्य अवैध दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित हो, ताकि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं में और समुदाय में बड़े पैमाने पर बच्चों के तक इसकी पहुंच को प्रतिबंधित किया जा सके।

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में हस्तक्षेप

विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों और दवाओं की उपलब्धता, जो पूरे देश में सामान्य रूप व्याप्त है, प्रवर्तन एजेंसियों, संस्थानों, समाज और परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर एक चुनौती रही है। इस खतरे की व्यापकता का एक कारण यह भी है कि अधिकारियों के पास जानकारी का अभाव है। इसलिए बच्चों, छात्रों और युवाओं को उनके आस-पास होने वाली इस तरह की गतिविधियों के प्रति उन्हें सतर्क बनाने और जागरूक करने की

आवश्यकता है। इसी प्रकार से, बाल क्लबों की सभी गतिविधियों में इस मामले को उनके जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए।

"प्रहरी"-चिल्ड्रंस क्लब: जागरूकता और संवेदीकरण

जागरूकता रोकथाम की कुंजी है और इससे विशेष रूप से युवाओं के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। बच्चों को सही वैज्ञानिक जानकारी देना और साथियों के दबाव से निपटने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना भी सर्वोपरि है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि ज्यादातर मामलों में किसी भी व्यक्ति को उसके साथियों द्वारा ड्रग्स और नशीले पदार्थों से परिचित कराया जाता है और पहली खुराक हमेशा मुफ्त की होती है। इसलिए, जागरूकता से उनमें यह समझ विकसित करने में मदद मिलेगी कि उन्हें नशीली दवाओं के उपयोग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए।

वर्तमान में स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकरणों और विषयों पर कई तरह के छात्र क्लब और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चों और युवाओं में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने और इस दिशा में मिल कर काम करने के लिए इन सभी क्लबों को जोड़ा जा सकता है। इन क्लबों में शामिल हैं:

1. इको क्लब: नेशनल ग्रीन कॉर्प्स (एनजीसी) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसमें एनजीसी स्कूल इको क्लब के साथ भारत के लगभग 1,20,000 स्कूलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों में पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्येक एनजीसी स्कूल इको क्लब में 30-50 एनजीसी छात्र या एनजीसी कैडेट होते हैं जो एनजीसी बनाते हैं।

2. सांस्कृतिक क्लब (संस्कृति मंत्रालय के अधीन): एक सांस्कृतिक क्लब वह माध्यम है जिसके द्वारा स्कूली छात्र भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जानने के लिए खुद को संगठित कर सकते हैं।

3. नेशनल कैडेट कॉप्स (एनसीसी): एनसीसी का उद्देश्य है युवाओं में चरित्र, कामरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और साहस की भावना विकसित करना। प्रत्येक कैडेट भारत की एकता को बनाए रखने; हमारे देश के अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने; और साथी के लिए निस्वार्थता और सहानुभूति की भावना से सकारात्मक सामुदायिक सेवा करने का संकल्प लेता है।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना -एनएसएस (युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन): इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 +2 बोर्ड स्तर पर और तकनीकी संस्थानों के छात्र, भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों

को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा प्रदान करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

5. रेड रिबन क्लब: छात्रों को एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में यह आंदोलन शुरू किया गया है। यह छात्रों में चैरिटेबल मानसिकता के निर्माण की परिकल्पना करता है, ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में मदद कर सकें, साथ ही नियमित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर सभी जरूरतमंदों को रक्तदान कर सकें।
6. भारत स्काउट्स एंड गाइड: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संगठन है। इसकी परिकल्पना है भारत स्काउट्स और गाइड्स को विश्व स्तर पर लाना, लगातार आगे बढ़ते रहना, और ऐसे आत्मनिर्भर प्रीमियम युवा आंदोलन बनाना, जो लिंग संतुलित, जीवंत और प्रवृत्तियों के प्रति उत्तरदायी हो। इसके अलावा, इसका उद्देश्य है सक्षम नेताओं, प्रभावी संचार, प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग और कुशल प्रबंधन के माध्यम से मूल्य-आधारित, आकर्षक युवाओं और युवाओं से संबंधित कार्यक्रम तैयार करना।
7. शैक्षिक संस्थान को भी अपने स्टाफ में से, किसी अधिकारी या शिक्षक या छात्र प्रतिनिधि को तंबाकू मॉनिटर नामित करना चाहिए। स्वास्थ्य और कल्याण एम्बेसडर्स को तंबाकू मॉनिटर के रूप में भी नामित किया जाना चाहिए।

मानव के जीवन में मादक द्रव्यों के प्रभाव और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य स्तर पर इन क्लबों का समन्वय आवश्यक है। इन क्लबों के राज्य नोडल अधिकारियों को राज्य की बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनसे कहा जाना चाहिए कि वे अपने संबंधित स्कूलों / संस्थानों में प्रति वर्ष दो जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक परिपत्र जारी करें। उनसे यह भी अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार गतिविधियों को तैयार/फ्रेम करें।

6.1.2 सभी स्कूलों में "मानव जीवन में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन के बुरे प्रभाव पर जागरूकता" पर विशेष चिल्ड्रन क्लब ("प्रहरी" क्लब)

देश के सभी स्कूलों में एक विशेष क्लब बनाया जाए और उन्हें एक वर्ष में दो उचित गतिविधियां करने की जिम्मेदारी दी जाए। क्लब की जागरूकता गतिविधियों को शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के मौजूदा कार्यक्रमों में एकीकृत किया जा सकता है।

जागरूकता पैदा करने के अलावा, इन विभिन्न क्लबों को इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए: (i) क्लब के सभी सदस्यों को नशीली दवाएं और पदार्थ लेने वाले बच्चों या यदि बच्चों को नशीली दवाओं और पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, के प्रति सतर्क रहने; और (ii) स्कूल परिसर में और उसके आसपास किसी भी गतिविधि या नशीली दवाओं और पदार्थों के उपयोग और बिक्री की संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहन के लिए तैयार किया जाए।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देश के सभी विद्यालयों में बाल क्लबों का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्लब में कुल मिलाकर लगभग 20-25 छात्र हो सकते हैं, जिन्हें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक से चुना जाता है। इन क्लबों के छात्र यह सुनिश्चित करने के लिए याद्दच्छिक जाँच करेंगे कि बच्चों को कोई अवैध या अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई बच्चा ड्रग्स और पदार्थ देने या उपयोग करने में शामिल है, सतर्कता बरतने के लिए सदस्यों को चिन्हित किया जाए। इसके अलावा, बाल क्लब के सदस्य इस गोपनीय जानकारी को नामांकित शिक्षक के साथ साझा करेंगे, बाद में जिसे वे उचित कार्रवाई के लिए इसे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साझा कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, एक शिक्षक को स्कूल प्राधिकरण द्वारा समन्वय के लिए और क्लब को सलाह देने के लिए नामित किया जाएगा।

गांधी स्मृति और दर्शन समिति (जीएसडीएस) से प्रहरी क्लबों (एक्सक्लूसिव चिल्ड्रन क्लब) को ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में गांधीवादी सिद्धांतों के साथ उन्मुख और संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया जाएगा। जीएसडीएस बाल राजदूतों को तैयार करने में भी मदद करेगा, जो अन्य बच्चों के लिए एक उदाहरण होंगे।

इसके साथ ही, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक सूचना पुस्तिका तैयार की जा सकती है और सभी बच्चों के क्लबों में प्रसारित की जा सकती है। वास्तव में, स्कूलों, छात्रों, पुलिस आदि के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाओं को शामिल करने के लिए एक जेएपी पोर्टल, "युद्ध नशे के विरुद्ध" विकसित किया जाएगा।

6.1.3 माता-पिता द्वारा निगरानी

माता-पिता और अभिभावकों द्वारा, विशेष रूप से अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, बच्चों के साथ समय बिताकर और उनकी बात सुनकर एक स्वस्थ संबंध विकसित कर बच्चों को नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के जाल में फंसने से रोकना इसका समाधान साबित होगा। इसलिए, बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में माता-पिता और अभिभावकों की भूमिका को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)/अभिभावक-शिक्षक बैठकों में चर्चा का विषय बनाना चाहिए।

6.1.4 तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (टीओएफईआई), 2019 का कार्यान्वयन

स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019 में टीओएफईआई (संशोधित) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को स्कूलों / शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इसके कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को सभी स्कूलों को राज्य के शिक्षा विभागों /सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के उच्च शिक्षा विभागों के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। उक्त दिशानिर्देशों में दिए गए टीओएफईआई के लिए संस्थान स्व-मूल्यांकन स्कोरकार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

6.1.5 स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी

कोटपा, 2003 की धारा 6 और जेजे अधिनियम, 2005 और नियम 2016 की धारा 77 और 78 के मद्देनजर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति शराब, सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद किसी बच्चे को नहीं बेच रहा है, स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूल के गेट और स्कूल के आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की एक सूची तैयार करेंगे। स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग स्कूल प्राचार्यों द्वारा की जाएगी। उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए, प्रिंसिपल तुरंत पुलिस/ड्रग्स अधिकारियों को सूचित करेंगे।

6.1.6 स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्ल्यूपीओ) द्वारा समय-समय पर जांच

बच्चों के लिए बने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की एक सूची स्थानीय थाना (पुलिस स्टेशन) स्तर पर तैयार की जाएगी। क्षेत्र के थाने के सीडब्ल्यूपीओ द्वारा समय-समय पर इनकी जांच की जाएगी और स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास लगे सीसीटीवी की त्रैमासिक जांच रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई के जिला प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, यह रिपोर्ट तिमाही आधार पर जिला आबकारी अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के साथ साझा की जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के साथ मिलकर एनसीबी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सीडब्ल्यूपीओ को उनके कर्तव्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनडीडीटीसी द्वारा एनआईएसडी के साथ मिलकर, प्राथमिकता के साथ: एक महीने के समय के भीतर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।

6.1.7 प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक क्षेत्रों, जैसे मॉल, हवाई अड्डे, प्रोविजन स्टोर, होटल या भोजनालयों, जहां शराब और तंबाकू के स्टोर उपलब्ध हैं, वहाँ पर यह नोटिस लगाया जाएगा, कि ये उत्पाद बच्चों की पहुंच से बाहर होने चाहिए। जेजे अधिनियम, 2015 और नियम, 2016 की धारा 77 और नियम 56 के अनुसार प्रमुख स्थानों पर ऐसे बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें यह लिखा गया हो, कि किसी बच्चे को नशीली शराब या तंबाकू उत्पाद देना या बेचना एक दंडनीय

अपराध है, जिसके लिए सात साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है और स्थानीय अधिकारियों और राज्य आबकारी प्राधिकरण द्वारा एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जएगा। जिलाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अलावा, यह रिपोर्ट एनसीबी और एनसीपीसीआर/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को प्रस्तुत की जाएगी।

6.1.8 कोई भी व्यक्ति स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों या बच्चों के लिए बने संस्थानों के एक सौ मीटर के दायरे में बच्चों को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री का प्रस्ताव नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा और राज्य द्वारा निर्धारित स्कूलों के पास शराब की दुकान नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट जिले में यह सुनिश्चित करेंगे कि सिगरेट/तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर यह नोटिस लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों या बच्चों के लिए बने संस्थानों के एक सौ मीटर के दायरे में बच्चों को शराब/सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा, बिक्री का प्रस्ताव नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ ही राज्य द्वारा निर्धारित स्कूलों के पास शराब की कोई दुकान न हो।

जिला आबकारी अधिकारी अपने राज्य आबकारी प्राधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों या बच्चों के लिए बने अन्य संस्थानों के आस-पास शराब की कोई दुकान नहीं चलनी चाहिए। डीईओ द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। एससीपीसीआर/एनसीपीसीआर के साथ एक त्रैमासिक रिपोर्ट साझा की जाएगी।

स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगरपालिका अधिकारी/पंचायत सचिव, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों या बच्चों के लिए बने संस्थानों के एक सौ मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर बच्चों को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी या बिक्री की पेशकश या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री की अनुमति नहीं दी सकती है। इसके साथ ही राज्य द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर आस-पास के स्कूलों में शराब की बिक्री नहीं होगी।

7.1.9 राज्य प्राधिकरण शराब की दुकान चलाने के संबंध में अपने राज्य के नियमों में संशोधन कर सकता है

केस लॉ के अनुसार - "यूपी राज्य और अन्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी और अन्य एआईआर 2008 एससीडब्ल्यू 1912" .... "100 मीटर या फीट (लगभग) की दूरी जिसके भीतर सार्वजनिक रिसॉर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाने, या किसी बाज़ार या आवासीय कॉलोनी के प्रवेश द्वार के पास शराब की कोई भी दुकान नहीं होगी।"

इसलिए, एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत उल्लिखित कार्यों के अनुसार सभी राज्यों को सभी स्कूलों (लड़कों और लड़कियों दोनों) के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी नीति/नियम बदलने की सिफारिश करता है।

विशेष हस्तक्षेप

स्कूल संबद्धता नियमों के तहत प्रतिबंध लगाना

उचित कार्यान्वयन के लिए, संबद्ध निकायों, अर्थात् केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र (आईसीएसई), राज्य शिक्षा बोर्डों, राज्य शिक्षा विभागों और राज्य मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों को, संबद्धता नियमों में शामिल किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र निकाले जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति: (i) 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को; और (ii) कोटपा, 2003 की धारा 6 के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा, बिक्री की पेशकश या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा, राज्य संबद्धता नियमों में यह संशोधन किया जाएगा कि स्कूल को मान्यता और संबद्धता देने से पहले और निरीक्षण के समय इसकी जांच कर चेकलिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मानदंडों और कोटपा की धारा 6 के अनुसार स्कूल के पास कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। एनसीपीसीआर इसकी अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा।

6.2.2 "स्कूलों में बच्चों की रक्षा और सुरक्षा" पर एनसीपीसीआर द्वारा जारी नियमावली में प्रावधान/शर्तों को शामिल करना:

एनसीपीसीआर ने "स्कूलों में बच्चों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मैनुअल" विकसित किया है। यह मैनुअल स्कूलों और स्कूल परिसर में बच्चों की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित 22 मौजूदा और अनुमोदित मैनुअल / दिशानिर्देशों का संकलन है। कोटपा की धारा 6 और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 77 और 78 के अनुपालन के लिए, एनसीपीसीआर अपने "स्कूलों में बच्चों की रक्षा और सुरक्षा हेतु मैनुअल" में इस बात को शामिल करने के लिए कि निर्धारित दूरी के अनुसार स्कूल के पास कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए और बच्चों को कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा रहा है, शुद्धिपत्र निकालेगा।

सोशल मीडिया में पूछताछ और तथ्य खोज

एनसीपीसीआर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत उपबंधित शक्तियों और कार्यों के अनुसार, सोशल मीडिया और डार्क वेब सहित इंटरनेट के माध्यम से नशीली दवाओं और पदार्थों की उपलब्धता पर तथ्य-खोज जांच करेगा। आयोग के पास नियमित तथ्य निष्कर्षों के लिए एक सेट अप होगा जिसमें विशेषज्ञों को, जब और जैसे

आवश्यक हो, आमंत्रित किया जाएगा। एनसीबी और अन्य विधिक प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इसकी जानकारी साझा की जाएगी।

6.3 विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन:

6.3.1 प्रावधानों का प्रवर्तन और उल्लंघनों की रिपोर्टिंग

यदि कोटपा की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभारी व्यक्ति (इस मामले में, स्कूल प्राचार्य या प्राधिकरण) उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इसकी सूचना देगा।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को शराब, नशीले पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ बेचते या देते हुए पाया जाता है, तो वह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 77 के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होगा/होगी, जिसमें कहा गया है: “यह एक बच्चे के खिलाफ अपराध है, यदि कोई व्यक्ति विधिवत योग्य चिकित्सक के आदेश को छोड़कर, किसी भी बच्चे को कोई नशीली शराब या कोई नशीली दवा या तंबाकू उत्पाद या मन:प्रभावी पदार्थ देता है या देने की वजह बनता है, तो उसे एक निश्चित अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ”

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 78 के अनुसार, "जो कोई भी किसी नशीली शराब, नशीले पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ को बेचने, फेरी लगा कर बेचने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी के लिए बच्चे का उपयोग करता है, उसे एक निश्चित अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित सीसीआई सहित शैक्षिक और बच्चों के संस्थान के प्रबंधक या प्रभारी (कोटपा, 2003 के नियम 3(1) के तहत परिभाषित) किसी भी उल्लंघन के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे।

6.3.2 स्कूल के सौ मीटर के दायरे में चल रही मौजूदा दुकानों के संबंध में कार्रवाई

कोटपा की धारा 6 के अनुसार संबंधित मंत्रालय/राज्य विभाग अपने स्कूल के एक सौ गज के दायरे में चल रही सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की दुकानों की सूची बनाने के लिए डीईओ और स्कूल के प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी करेंगे। शिक्षकों, एसएमसी और बाल क्लबों की सहायता से यह सूची तैयार की जाएगी और स्कूल के प्रधानाचार्यों द्वारा डीईओ को भेजी जाएगी। इसके बाद, डीईओ इस सूची को जिला मजिस्ट्रेट और एससीपीसीआर को भेजेंगे।

सूची प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों और बच्चों के लिए बने अन्य संस्थानों के एक सौ गज के दायरे में सिगरेट/बीड़ी या

कोई अन्य तंबाकू उत्पाद की कोई भी दुकान मौजूद न हो, स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के माध्यम से, उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी करेगा।

यह कार्य दो तिमाहियों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली बैठकों में इस कार्य की समीक्षा की जायेगी। बाल क्लब स्कूल प्रधानाचार्यों को त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो किसी भी उल्लंघन के मामले में डीईओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद, डीईओ एससीपीसीआर को एक त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6.3.3 कोटपा, 2003 के नियम 6(बी) के अनुसार स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के बाहर बोर्ड लगाना

शैक्षणिक संस्थान के मालिक या प्रबंधक या कोई भी प्रभारी व्यक्ति परिसर के बाहर एक सहज दृश्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड लगाएगा और प्रदर्शित करेगा, जिसमें प्रमुख रूप से यह लिखा हो कि शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री सख्त वर्जित है और यह अधिनियम की धारा 24 के तहत दंडनीय अपराध है, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है। इस धारा के तहत सभी अपराध समाधेय होंगे और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सारांश परीक्षण के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार इन पर संक्षेप में विचारण किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला आयुक्त द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और त्रैमासिक बैठक में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

एक शैक्षिक संस्थान (ईआई) को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशानिर्देशों में उल्लिखित क्विटलाइन नंबर 1800-11-2356 के साथ साइनेज प्रदर्शित करना चाहिए।

रिपोर्टिंग और निगरानी

कार्य योजना में निर्धारित सभी गतिविधियों में विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए। विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.1

स्तर	रिपोर्टिंग	समीक्षा/निगरानी
स्कूल	क्लब गतिविधियाँ: नामित शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक को	स्कूल प्रबंधन/एसएमसी
	टीओएफईएल: प्रधानाचार्य द्वारा डीईओ को	जिला समाज कल्याण अधिकारी
	स्कूल में सीसीटीवी की समय-समय पर जांच: स्कूल प्रिंसिपल/सीडब्ल्यूपीओ द्वारा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) को	जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)

	स्कूल के आस-पास शराब, नशीली दवाओं और पदार्थों की बिक्री: प्रधानाचार्य द्वारा स्थानीय पुलिस को	जिला आबकारी अधिकारी
	स्कूल/शैक्षिक संस्थान में और उनके आस-पास सभी संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन: प्रधानाचार्य/प्रबंधक/स्कूल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस / सीडब्ल्यूपीओ/ एसजेपीयू को सूचित किया जाएगा	आबकारी विभाग और जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय नगरपालिका
	मौजूदा दुकानों के संबंध में कार्रवाई: प्रधानाचार्य/ स्कूल प्रबंधन द्वारा डीईओ को	जिला आबकारी अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)	स्कूल के आस-पास शराब/नशीली दवाएं/ पदार्थ बेचने वाली मौजूदा दुकानों की सूची तैयार करना: पंचायत/यूएलबी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को	जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय नगर पालिका
	यह सुनिश्चित करना कि स्कूल/शैक्षणिक संस्थान के आस-पास शराब, नशीली दवाएं और पदार्थ बेचने की कोई दुकान न हो: स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे और जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे	जिला मजिस्ट्रेट
	दवाओं/नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए सार्वजनिक सूचना: मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट
	सूचना/रिपोर्टों को समेकित करना: डीईओ, एसजेपीयू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला व्यायाम अधिकारी, सीईओ-नगरपालिका, पुलिस अधीक्षक / अधिकारी/सीईओ-जिला पंचायत	जिला मजिस्ट्रेट समीक्षा व निगरानी करेंगे: तिमाही समीक्षा

7. किसी भी फार्मेसी/केमिस्ट की दुकान द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी बच्चे को अनुसूची एच, एच1 या एक्स की दवाएं बेचना

बच्चे और किशोर केमिस्ट शॉप से नशीली दवाएं ले रहे हैं और उनका सेवन कर रहे हैं

यह चिंता का विषय है कि अवयस्क अनुसूचियों एच, एच1 या एक्स दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं और उनका सेवन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर नशीली दवाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। वर्तमान में, इसके लिए कोई उचित निगरानी तंत्र नहीं है या दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, एक मजबूत निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

7.1 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियम के तहत नियम 65(3) के अनुसार, अनुसूची एच 1 में निर्दिष्ट दवा की आपूर्ति करते समय आपूर्ति के विवरण को एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें प्रिस्क्राइबर का नाम, रोगी के नाम और आपूर्ति की

गई मात्रा के साथ दवा के नाम का उल्लेख किया जाएगा। इस रजिस्टर को तीन वर्ष तक गोपनीय रखना होगा और यह निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

इसके अलावा, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियम के तहत नियम 65 (9) (ए) के अनुसार, अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट पदार्थों के मामले में, नुस्खे दो प्रतियों में होंगे, जिसकी एक प्रति लाइसेंसधारक दो साल की अवधि के लिए अपने पास रखेगा।

बेहतर निगरानी के लिए, एक मोबाइल ऐप-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में खुदरा केमिस्ट या मेडिकल स्टोर द्वारा अनुसूचियों एच और एक्स दवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर को डिजिटल **बनाया** जाएगा। इस ऐप-आधारित एमआईएस को सीडीएससीओ द्वारा विकसित किया जाएगा और यदि आवश्यक होगा तो बिक्री को विनियमित करने वाले इस एमआईएस आधारित ऐप के विकास में एनसीपीसीआर मदद करेगा।

7.2 यदि जेजे एक्ट, 2015 की धारा 77 या 78 के तहत किसी फार्मेसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और यदि उक्त फार्मेसी को दोषी पाया जाता है, तो फार्मेसी काउंसिल द्वारा उसका पंजीकरण वापस ले लिया जाएगा। राज्य प्राधिकरण और सीडीएससीओ ऐसे सक्षम प्रावधान और प्रक्रियाएं तैयार कर सकते हैं।

7.3 उपरोक्त के मद्देनज़र, अनुसूची एक्स या एच दवा बेचने वाले सभी मेडिकल/फार्मेसी स्टोर पर निगरानी रखने के लिए उनकी दुकानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इसकी जांच की जाएगी। यदि ऐसे मेडिकल स्टोर सीसीटीवी कैमरों के बिना काम कर रहे हैं, तो मौजूदा मेडिकल स्टोर को सीसीटीवी लगाने के लिए छह महीने की समय अवधि दी जाएगी। इसे अनुसूचियों एक्स, एच और एच1 दवाओं को बेचने वाले फार्मासिस्टों और केमिस्टों के लाइसेंसिंग नियम में शामिल किया जाएगा। डीजीएचएस, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सीडीएससीओ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंसिंग मानदंडों और नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो पूरे भारत में लागू होगी।

7-4 इस चिंताजनक मुद्दे के समाधान के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के तहत प्रदत्त अधिकार से, वर्तमान में जिला कलेक्टर, अनुसूचियों एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली फार्मेसी / केमिस्ट की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि परेशानी को दूर करने के सशर्त आदेश के संबंध में, धारा 133 कहती है:

"राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष शक्ति प्रदत्त किसी जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त होने और ऐसा सबूत (यदि कोई हो) मिलने पर जिसे वह सही पाता है, यह मानता है-

(बी) कि ऐसे किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन, या किसी भी सामान या माल को रखना, समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, और इस लिए ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या माल को हटा दिया जाना चाहिए या उसके रखरखाव को विनियमित किया जाना चाहिए;

दिए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्यों के राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा दी गई सूचना एवं रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारियों को प्राथमिक रूप से कम से कम सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय और एनसीबी द्वारा संयुक्त रूप से अत्यधिक संवेदनशील जिलों के रूप में चिन्हित किए गए 272 जिलों में फार्मेसी/केमिस्ट की दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में उपयुक्त आदेश जारी करना है। एनसीबी द्वारा 272 अति संवेदनशील जिलों का विवरण संबंधित राज्यों के दवा नियंत्रकों के साथ साझा किया जा सकता है। यदि आवश्यक होगा, तो नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की उच्च घटनाओं की जानकारी के आधार पर, एनसीपीसीआर, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 (एफ) के तहत प्रदत्त कार्यों के अनुसार- "संधि**यों** और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करेगा और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करेगा और बच्चों के सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा" - उचित सिफारिशें करेगा।

7.6 अनुसूची एच और एक्स दवाओं को बेचने वाले मेडिकल / फार्मेसी स्टोर की रिकॉर्डिंग के इंटरनेट कनेक्शन के साथ इन सीसीटीवी कैमरों को उस क्षेत्र विशेष के सीडब्ल्यूपीओ के साथ जोड़ा जाएगा, जहां पर ऐसे मेडिकल स्टोर मौजूद हैं। जिला औषधि नियंत्रण प्राधिकरण समय-समय पर सीडब्ल्यूपीओ के साथ बैठकें आयोजित करेगा। तत्पश्चात, ऐसे मेडिकल स्टोरों जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी सूची और निगरानी रिपोर्ट को संबंधित राज्य दवा नियंत्रक के साथ तिमाही आधार पर साझा किया जाएगा। एससीपीसीआर यह सुनिश्चित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी निगरानी का प्रावधान योजना के अनुसार किया जाए। एससीपीसीआर द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर राज्य और क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में चर्चा की जाए।

8. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यपार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत बंदी बनाने संबंधी प्रावधान का अधिकतम प्रयोग।

चूंकि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार लोगों को स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए गंभीर खतरा है, अत: इस अधिनियम में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण के प्रयोजन से कुछ मामलों में बंदी बनाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु यह देखा गया है कि राज्यों और प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का कम प्रयोग किया गया है।

कुछ व्यक्तियों पर को बंदी के आदेश देने की शक्तियों के संबंध में अधिनियम की धारा 3 (1) में यह उल्लेख किया गया है कि: "केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से निम्न न हो, जिसे उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, अथवा राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो उस सरकार में सचिव के रैंक से निम्न रैंक का न हो, जिसे उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किया गया हो, स्वयं आश्वस्त होने पर, किसी व्यक्ति (इसमें विदेशी भी शामिल है, को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार करने से रोक सकता है और आवश्यकता होने पर उस व्यक्ति को बंदी बनाने का निर्देश देते हुए आदेश दे सकता है"।

अत: यह अपेक्षित है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए बंदी बनाने के इस प्रावधान का पयोग करने पर पुलिस एवं प्रर्वतन प्राधिकारी पर उचित ध्यान दें।

9 <u>बच्चों में मन:प्रभावी पदार्थों के प्रयोग का शीध्रपता लगाने संबंधी कार्यनीति:</u> बच्चों में ड्रग्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए जागरूकता, निवारक कार्रवाई विधि प्रवर्तन इस प्रकार के **व्यवहार** का उपचार और शीघ्र पता लगाने जैसे कई प्रमुख दृष्टिकोणों की आवश्कयता है, इसके अतिरिक्त इस बात का शीघ्र पता लगाना भी प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है। जिससे बच्चों का ड्रग्स पर निर्भर रहने पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। इससे यह जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता मिल सकती है कि ड्रग्स और नशीली दवाएं किस प्रकार से प्राप्त करने है, कहां से प्राप्त करते हैं, इन बच्चों को ये ड्रग्स कौन उपलब्ध कराता है अथवा इस ड्रग्स को लेने के लिए इन्हें कौन प्रोत्साहित करता है। अत: यह एक प्रकार की सार्थक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

9.1) <u>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबी एस के) की भूमिका</u>

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख कार्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए चार "डी एस" जन्म के समय दोष, कमियां, रोग और विकास में देरी

तथा अशक्तता का पता लगाना है। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा ड्रग्स और नशीली दवाओं के प्रयोग का शीघ्र पता लगाने पर ध्यान दिया गया है।

<u>शीघ्र पता लगाने के साधन:</u> मानसिक विकार के नैदानिक और सांख्यिकीय नियम पुस्तक (डीएसएमबी) के अनुसार विभिन्न प्रकार की पृथक-पृथक ड्रग्स **जैसे** कि एल्कोहल, कैंफीन, गांजा, हैलुसिनीसन (फाइसाईक्लिडीन अथवा इसी प्रकार के सक्रिय आरिलिसाइक्लोहेला माइन्स और अन्य हैलुसिनोजन्स जैसे कि (एलएसडी) इनहैलेंट्स ओपीऑडस, सीडेटिक्स, हिपनॉटिक्स अथवा एन जाय लिटिक्स, उत्तेजन पदार्थ, (इसमें एटी एन, कोकिन और अन्य उत्तेजन पदार्थ शामिल हैं) तम्बाकू और अन्य अथवा अज्ञात नशीले पदार्थ के सेवन के परिणामस्वरूप नशीली दवाओं के उपयोग से नशे की लत से होने वाले विकार। नशीली दवाओं के उपयोग और नशे की लत से होने वाले विकारों से दिखाई देने वाले लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि एक बच्चा अथवा किशोर इन से होने वाली समस्याओं के बावजूद भी उनका सेवन जारी रखता है। नशीले पदार्थ-प्रेरित विकार इसमें नशा, नशीले पदार्थों का प्रतिकार/औषधि के प्रयोग से उत्पन्न मानसिक विकास के ब्यौरेवार विवरण के साथ-साथ नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले विकारों का भी वर्णन किया गया है।

बच्चों में नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले विकारों का शीघ्र पता लगाने की श्रेणी को आर.बी.एसके के अतंर्गत रोगों की सूची में शामिल किया जाए। बच्चों और किशोरों में नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले विकार का शीघ्र पता लगाने और संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए रा.बा. स्व. कार्य. टीम के अंतर्गत अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाय।

9.2 <u>प्रथम फेज में 272 संवेदनशील जिलों को शामिल करने के संबंध में शीघ्र पता लगाने पर मध्यक्षेप करना।</u>

15, अक्तूबर, 2020 को आयोजित वर्चुअल मीटिंग में एमओएसजेई द्वारा उल्लिखित अनुसार एनसीबी से प्राप्त इनपुट के आधार पर 272 संवेदनशील जिलों का पता लगाया गया है और वहां राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है। प्रारंभ में प्रथम फेज में इन 272 जिलों में पहले तीन महीनों में रा.बा.स्वा. कार्य. की टीम द्वारा शीघ्र पता लगाने का कार्य किया जाएगा।

9.3 <u>रा.बा.स्वा. कार्य टीम का प्रशिक्षण</u>

रा.बा.स्वा. कार्य टीम के प्रशिक्षण के लिए एनडीडीटीसी, एम्स द्वारा एक महीने के अंदर प्रशिक्षण माड्यूल और कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। एनडीडीटीसी एम्स के साथ मादक द्रव्यों के प्रयोग को कम करने के लिए (एनएपीडीडीआर) राष्ट्रीय कार्यकारी योजना के अंतर्गत एनआईएसडी द्वारा प्रमुख प्रशिक्षणों को जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। एस सी पी सी आर एस रा.बा.स्वा. कार्य टीम के प्रशिक्षण के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर स्वयं मॉनीटर करेगा।

9.4 स्क्रीनिंग और उपचार:

प्रशिक्षण के पश्चात् रा.बा. स्वा. कार्य टीम अपने नेमी जांच कार्य के रूप में स्कूलों में बच्चों द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग करने से होने वाले विकारों और उससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बच्चों की जांच करेगी। जांच के परिणाम के आधार पर उपचार और निवारण के लिए केंद्रित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। उपचार के लिए बच्चों को एन ए पी डीडीआर के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 जिलों में स्थापित किए जा रहे अतिरिक्त उपचार केद्रों (एल टी एफ एस) में भेजा जाएगा।

9.5 सी डब्ल्यू पी ओ द्वारा डाटा शेयर करना और निरीक्षण करना:-

रा.बा.स्वा. कार्य टीम द्वारा बच्चों की जांच करते समय, जिन बच्चों में मादक पदार्थों का प्रभाव पायाजाता है, उन बच्चों का स्कूल वार डाटा टीम द्वारा डीईओ के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा, डीईओ उक्त डाटा को एसजेपीयू के साथ शेयर करेगा। इसके बदले में एसजेपीयू, सी डब्ल्यू पी ओ के साथ मिल कर जिन स्कूलों में अत्याधिक जोखिम है, उन स्कूलों के निकटतम क्षेत्रों का फील्ड निरीक्षण करेगा जिससे स्कूलों में उन **स्रोतों** का पता लगाया जा सके, जिन **स्रोतों** से बच्चे अवैध दवाएं और नशीले पदार्थ प्राप्त करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक तिमाही बैठक के दौरान डाटा मॉनीटरन करेगा।यह सुझाव दिया गया है कि एम आई एस जिला वार विशेष कर उन 272 जिलों में, जहां स्कूलों में बच्चों द्वारा मादक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, डाटा तैयार करेगा और इस डाटा की सभी स्तरों की तिमाही बैठकों में समीक्षा की जाएगी।

9.6 स्कूलों में की जा रही कार्रवाई:

स्कूल सेटिंग्स में स्कूल के बच्चों द्वारा प्रयोग कि◻ए जा रहे मादक पदार्थों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से इसके लिए स्कूल काउंसलरों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अत: स्कूलों में अहर्ता प्राप्त और प्रशिक्षित काउंसलरों को नियुक्त कि◻या जाना चाहिए। इन काउंसलरों को न केवल बच्चों द्वारा प्रयोग की जा रही मादक पदार्थों के बारे में शीघ्र कार्रवाई किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अपितु उन बच्चों का भी पता लगाना चाहिए जिन्हें मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि◻ मादक पदार्थों का प्रयोग करने से इन बच्चों में जल्द ही विकार हो जाते हैं और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाईयां भी आती है। अध्यापकों को अध्यापक मॉड्यूल के माध्यम से अपनी **भूमिका** निभाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाईयां ऐसे वातावरण में की जानी चाहिए जहां गोपनीयता और निजता का सम्मान होता हो। इस प्रकार की कार्रवाई की गुणवत्ता उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी रूचि महत्वपूर्ण है।

10. ड्रग्स और मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाली समस्या ग्रस्त बच्चों को पृथक अथवा विशिष्ट नशा मुक्ति और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराना

इस तथ्य को देखते हुए कि बच्चे जनसंख्या का विशेष वर्ग हैं, अत: सभी प्रकार की हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों के लिए उपचार दृष्टिकोण और समुचित आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। अत: बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए पृथक अथवा विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

272 संवेदनशील जिलों में बच्चों के लिए विशिष्ट नशा मुक्ति और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं:

उक्त कार्रवाई 272 संवेदनशील जिलों में शुरू की जानी चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्ट नशा मुक्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा। परन्तु इसमें कोई बाधा आने पर अथवा स्थान का अभाव होने पर मौजूदा स्थान में एक पृथक स्थान निर्धारित किया जाए और ऐसे बच्चों के लिए विभाजन किया जाए। इसके साथ-साथ एक पृथक शौचालय का भी प्रावधान किया जाए और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शेष जिलों के संबंध में एटीएफएस, एनएपीडीआर के अंतर्गत जिला स्तर के सभी अस्पतालों में बच्चों को नशा मुक्त करने और उनके पुनर्वास के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

11. ड्रग्स और मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे सड़कों पर रहने वाले बच्चों के संबंध में:

योजना तैयार की जाए। यह योजना उक्त बच्चों के लिए कार्य कर रहे एन जी ओ द्वारा सीडब्ल्यूपीओ, एसजेपीयू अथवा डीसीपीयू के साथ मि लकर तैयार की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइन की सहायता से बाल कल्याण समि ति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष इस प्रकार के ड्रग्स/मादक पदार्थ लेने वाले सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए योजना तैयार करेगा ताकि इन बच्चों को काउंसिलिंग, उपचार और पुनर्वास के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। डीसीपीयू स्वयं इन बच्चों की कांउसलिंग करेगा और उन्हें उपयुक्त उपचार/पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करेगा। डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी बच्चे को सीसीआईएस के भेजेगा। बाल कल्याण समिति जे जे अधिनियम, 2015 की धारा 77 के अंतर्गत नारकोटिक मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति/दुकान के संबंध में जांच करने अथवा कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अनुरोध करेगा (इस संबंध में ब्यौरेवार प्रक्रिया का विवरण अनुबंध (6) में दियागया है)।

12. बच्चों और किशोरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले इन्हेलेन्ट्स का अधिक प्रचलन भारत के लिए चिंता का विषय है। मादक पदार्थों की एकमात्र यही श्रेणी है जिसका वयस्कों, की अपेक्षा बच्चों में अधिक प्रयोग किया जाता है। देश के अधिकांश राज्यों में इन्हेलेन्ट्स का

प्रयोग करने वाले बच्चों की पर्याप्त संख्या है, जो इन्हेलेन्ट्स के प्रयोग से पहले से ही प्रभावित है और इसके प्रयोग से इनमें कोई न कोई विकार आ चुका है। अत: ऐसे बच्चों को बचाने के लिए तत्काल सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए जो पहले से ही इन्हेलेन्ट्स शुरू करने वाले हैं।

जिला मजिस्ट्रेट व्यापारी संघ को सम्बोधित करने अथवा उनके साथ बैठक मीटिंग करते समय, इन्हेलेन्ट्स की बिक्री के संबंध में कार्रवाई करेगा। वह व्यापारी संघ को इस मामले की गंभीरता स्पष्ट करेगा/करेगी और कि जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत बच्चों को इन्हेलेन्ट्स की बिक्री करने वाली दुकानोंके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी संघ और खुदरा व्यपारियों को एफ.एन.एक्स. 11029/6/2010 के एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा तारीख 17 जुलाई 2012 को **जारी** अधिसूचना के बारे में अवगत कराए जाना आवश्यक है, कि केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है कि थोक बिक्री के लिए बोतल बंद सुधार (**करेक्शन**) तरल पदार्थ तथा बोतल बंद थिनर के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके अनुप्रयोग यंत्रों पर भी आवश्यक चेतावनी दी जाए। इस आदेश का व्यपार और उद्योग संघ सहित सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। अत: प्रवर्तन एजेंसियों को इस आदेश पर ध्यान देना होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के प्रति विधिक कार्रवाई करनी होगी।

बीपीआरडी इस अभियान को संवेदनशील बनायेगा जिससे सुधार तरल पदार्थों के प्रतिबंध पर एमओएचएफ डब्ल्यू के आदेशों को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके।

यदि समीक्षा बैठक के दौरान स्कूल के बेची जा रही अथवा किसी बच्चे को दी गई उक्त सामग्री (अधिसूचना में उल्लिखित) एफडब्ल्यू की अधिसूचना के अनुसार इसके निवारण के लिए कोई कार्यवाहीन करने अथवा इसका पालन न करने पर एन सी पी सी आर इन मामलों को अलग-अलग दर्ज करेगा और उक्त मामले पर तब तक कार्यवाही करेगा और उक्त मामले पर तब तक कार्यवाही करेगा जब तक कि इसका तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाल लिया जाता।

13.सोशल मीडिया अभियान

आजकल सोशल मीडिया सभी आयु ग्रुप के लोगों और जीवन के सभी स्तरों के लोगों में जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। अत: जागरूकता पैदा करने के लिए परंपरागत मीडिया के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी उपयोग किया जाए। सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं के साथ मीटिंग आयोजित की जाए और उचित संदेश देने कि लिए उसका मार्गदर्शन किया जाए। इस संबंध में सतत सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए ब्यौरेवार योजना तैयार करनी होगी। टैग लाइन को विशेष महत्व दिया जाएगा।

14- स्कूल पाठयक्रम में ड्रग्स संबंधी शिक्षा को शामिल करना:-

स्कूल पाठयक्रम में ड्रग्स संबंधी शिक्षा को शामिल करने से एक व्यवस्थित एवं विस्तृत दृष्टिकोण होगा। जिसमें न केवल बच्चों अपितु अध्यापकों और माता-पिता अभिभावकों में भी जागरूकता आएगी। अत: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) को ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त पाठयक्रम तैयार करने का अनुरोध किया जाए। इस पाठयक्रम के सहज अनुपालन के लिए एनसीपीसीआर तथा एनसीबी और एससीपीसीआर तथा एनसीईआरटी और एससीईआरटी, शैक्षिक बोर्डों, विशेषज्ञों और हित अधिकारियों के साथ मिलकर परामर्शी बैठक करेगी।

15- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना:-

एनसीबी "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" (जेएपी) के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय और राज्य स्तरों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण योजना एवं कैलेंडर तैयार करेगा।एन सी बी, एनसीपीसीआर अथवा संस्थानों के साथ प्रशिक्षण सामग्री भी शेयर करेगा ताकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके इन्पुट्स प्राप्त किए जा सकें।

16- विभिन्न स्तरों पर हिताधिकारियों और प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना और मानिटरिंग करना:-

जे ऐ पी सामूहिक ज्ञान का दस्तावेज है जिसमें सेवा और प्राधिकारियोंऔर सेवा के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है और जिसमें मुख्य मुद्दों को व्यापक तरीके से बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकारियों, डयूटी करने वाले कर्मचारियों और हितअधिकारियों को उनके कार्य के अनुसार सभी स्तरों पर निर्धारित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सबसे पहले सभी जिला स्तरों पर तिमाही बैंठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें जिलों से प्राप्त डाटा जानकारी और मुद्दों का उल्लेख किया जाएगा। राज्य स्तर की बैंठक की अध्यक्षता एससीपीसीआर द्वारा की जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एनसीबी क्षेत्रीय कार्यालय उस क्षेत्र के एससीपीसीआरएस के साथ बैठक का मानिटरिंग करेगा। अन्तत: एनसीबी और एनसीपीसीआर, जेएपी को मानिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित करेगा।

थाना/ब्लॉक	जिला	राज्य	क्षेत्रीय	राष्ट्रीय
स्कूल का प्रिंसीपल	जिला मजिस्ट्रेट	एससीपीसीआर	एनसीपीसीआर	एनसीबी
स्थानीय प्राधिकारी/ **यू.एल.बी**	सीईओ-नगरपालिका	राज्य फार्मेसी काउंसिल	एनसीबी क्षेत्रीय कार्य स्थल	एन सी पी सी आर
सी डब्ल्यू पी ओ	डी ईओ	राज्य शिक्षा विभाग	(राज्यों **के प्रतिभागी** एस सी पी सी आर)	एम ओ एस जे ई
व्यपारी संघ/दुकान के मालिकों का संघ	जिला उत्पादन अधिकारी	राज्य शिक्षा बोर्ड	डी जी पी	एफओ एच एफ डब्लयू
पुलिस स्टेशन प्रभारी	डी ई ओ	बाल भवन	राज्य स्वास्थ्य विभाग (क्षेत्र के अंतर्गत)	डी एल सी औ
	डी सी पी यू	एन सीसी राज्य	राज्य शिक्षा विभाग (क्षेत्र के अंतर्गत)	एन सी सी
	एसजेपीयू	एन एस एस राज्य	ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारी राज्य	सबंध निकाय सी बी एस ई आई सी एस सी ई
	डी एस डब्ल्यू ओ समाज कल्याण	स्वाउट्स राज्य	ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारी राज्य	संबंध निकाय सीबीएससी आई सी एस सी ई
	मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी-चिकित्सा	सांस्कृतिक क्लब राज्य		एफ आई एस डी
	अधीक्षक पुलिस	ईको क्लब राज्य		एफ डी डीटी सी एम्स
	सीईओ जिलापंचायत	एन स सी ओ राज्य		बी पी आर एवं डी
	जिला ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी	डी जी पी		
		क्षेत्रीय एन सी बी का (क्षेत्रीय विकास आयुक्त) उप क्षेत्रीय कार्यालय		
		राज्य फार्मेसी काउंसिल		

17. बच्चों द्वारा शराब ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन के संबंध में प्रमुख मुद्दों/समस्याओं पर कार्रवाई करना।

(सारणी 1 क)

बच्चों के कोचिंग सेंटर के साथ-साथ स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास शराब की बिक्री			
रणनीति कार्रवाई	हस्तक्षेप	उत्तरदायी प्राधिकारी	निर्धारित समय
स्कूलों/संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक	• यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी करना कि स्कूल के आस-पास शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। • उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एस बनाम मनोज कुमार द्विवेदी और अन्य ए आई	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	
	आर 2005 एस सी डब्ल्यू 1912 • जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एवं जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय शैक्षणिक संस्थान (सरकारी/प्राइवेट सरकारी सहायता प्राप्त और सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक स्कूल) की जिला ब्लॉक/गांव नगरीय आवासवार सूची शेयर करना। • यह सुनिश्चित करनेके लिए निरीक्षण और सत्यापन करना कि यहां शराब की बिक्री नहीं की जाती। • उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को स्कूल क्षेत्र में शराब की किसी दुकान से संबंधित मामले की रिपोर्ट करना।	जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यू पी ओ) स्कूल के प्रधानाचार्य प्रशासक/एसएमसी	

	• यह सुनिश्चित करना कि जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) दर्ज की गई है। जिस व्यक्ति को स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास किसी को अथवा किसी बच्चे को शराब की बिक्री करते पाया गया है। (जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार- 'एक बच्चे के खिलाफ किया गया एक अपराध ही माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी विधिवत् अहर्ता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी आदेश से अन्यथा किसी बच्चे को कोई नशीली शराब अथवा कोई नशीली दवाएं या तम्बाकू उत्पाद अथवा मनोदैहिक पदार्थ देता है अथवा देने का कारण बनता है'		
स्कूल/संस्थानों के आस-पास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक लगने को सुनिश्चित करने के लिए समर्थककारी प्रावधान बनाना	मान्यताप्राप्त/संबद्ध स्कूल के लिए प्रावधान शामिल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल के परिसरों के निकट निर्धारित दूरी के अंदर शराब की कोई दुकान नहीं है। -स्कूलों को मान्यता देने से पूर्व राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों से वचनबंध लेना जिसमें इस बात की स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्कूल के आस-पास शराब की कोई दुकान/बार नहीं है।	संबंध निकाय जैसे सीबीएसई आईसीएससीई, राज्य बोर्ड, राज्य शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा विभाग	

	-स्कूलों को मान्यता देने के संबंध में राज्यों के नियमों में तदनुसार संशोधन किया जाए। - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संबंधी नियमपुस्तक में शामिल करने के लिए शुद्धिपत्र निकालेगा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित दूरी के अनुसार स्कूल के आस-पास शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।	राज्य शिक्षा विभाग एन सी पी आर	
	-शिक्षा मंत्रालय सभी शिक्षा बोर्डो और राज्य शिक्षा विभागों को स्कूल और उसके आस-पास के क्षेत्र में पहले से ही संस्थापित सी सी टी वी कैमरे के मानीटरन की तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए परिपत्र भेजेगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय विधि के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी स्कूल/शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायर में शराब की कोई दुकान नहीं है। -उत्तर प्रदेश राज्य और ओ अन्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी और ओ आर एस अन्य ए आई आर 2008 एस ए आई आर 2008 एस सी डब्ल्यू 1912	शिक्षा मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग	
यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना कि स्कूल परिसरों में एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में शराब का प्रयोग नहीं किया जा रहा।	सभी स्कूल अपने स्टॉफ का पुलिस से अनिवार्यत: सत्यापन करवाएंगे। -इस बात के लिए वचनबद्ध होना कि स्कूल समय के दौरान शराब का सेवन करने वाले स्टॉफ के संबंध में स्कूल में जीरो टॉलरेंस नीति को अनिवार्यत: लागू किया गया है।	राज्य/स्कूलों के शिक्षा विभाग राज्य/स्कूल शिक्षा विभाग	

	-स्कूल में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे क) स्कूल परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में शराब का सेवन करने वाले स्टॉफ अथवा विद्यार्थियों की नियमित जांच की जा सके। ख) इस बात की जांच करना कि क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित दूरी के अनुसार स्कूल के आस-पास की शराब की दुकानों में शराब की बिक्री जैसा कोई कार्यकलाप तो नहीं किया जा रहा। (उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी और ओ आर एस ए ई आर 2008 एस सी डब्ल्यू 1912) -बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा तिमाही निरीक्षण जे जे अधिनियम 2015 अथवा किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की रिपोर्ट करना।	स्कूल/सी डब्ल्यू पी ओ सी डब्ल्यू पी ओ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/एस एम सी स्कूल प्रबंधन समिति/ स्कूल प्रिंसीपल/स्कूल प्रबंधन समिति/ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	

<u>ध्यान दें: 1.</u> राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क अधिनियम के लिए नियम बनाती हैं। भारत संविधान की अनुसूची VII के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 51 में प्रत्येक राज्य को मानव खपत के लिए मादक पेय से संबंधित शुल्क, उत्पाद शुल्क और इस प्रकार की अन्य उगाहियों का विनियमन करने और लागू करने का प्राधिकार दिया गया है।

सारणी 1-ख

स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों तथा बच्चों के कोचिंग सेंटरों के आस-पास बीड़ी/सिगरेट, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री।			
रणनीतिक कार्रवाई	**हस्तक्षेप**	**उत्तरदायी प्राधिकारी**	**निर्धारित समय**
स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में बीड़ी,/सिगरेट, गुटखा, और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर रोक लगाना।	-यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी करना कि राज्य स्तर के सबंध निकायों उदाहरणार्थ सीबीएसई, आई सी एस ई, राज्य शिक्षा बोर्ड और राज्य प्राधिकारियों द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 की धारा (6) के अनुसार स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के अंतर्गत बीड़ी/सिगरेट, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री के लिए कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।	शिक्षा मंत्रालय	
	-जिला शिक्षा अधिकारी(डी ई ओ) तथा जिला ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारी अथवा जिला स्तर के किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/प्राइवेट /सरकारसे सहायता प्राप्त	जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ)	

	और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की जिला/ब्लॉक/गांव/नगरीय आवास वार सूची का उल्लेख करना।		
	-यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और सत्यापन करना कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी अन्य प्रकार के तम्बाकू उत्पाद अथवा पदार्थों की बिक्री नहीं की गई है। -यह सुनिश्चित करना कि जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम इतला रिपोर्ट (एफ आई आर) रजिस्टर्ड की गई है जिस व्यक्ति को स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास किसी बच्चे को शराब अथवा तम्बाकू और अन्य संबंधित उत्पादों की बिक्री करते पाया गया है। जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार 'एक बच्चे के विरुद्ध किया गया एक अपराध ही माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी अर्हता प्राप्त चिकित्सक	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) एसएमसी स्कूल प्रिंसीपल/प्रशासिक एस एम सी	

	व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बच्चे को कोई नशीली शराब अथवा कोई नशीली दवाएं अथवा तम्बाकू उत्पाद अथवा मनोदैहिक पदार्थ देता है अथवा देने का कारण बनता है।'		
स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने के लिए समर्थक प्रावधान बनाना।	मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध स्कूल के लिए प्रावधान शामिल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूलों संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में बीड़ी सिगरेट, गुटखा और तम्बाकू के अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए कोई दुकान नहीं है। -स्कूलों को मान्यता देने से पूर्व राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों से वचनबंध लेते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि स्कूल के आस-पास इस प्रकार की कोई दुकान नहीं है। -राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एम सी पी सी आर) स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी नियम पुस्तक में शामिलकरने के लिए	संबद्ध निकाय जैसा कि सी बी एस ई, आई सी एस सी ई, राज्य बोर्ड, राज्य शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा विभाग एन सी पी सी आर	

	शुद्धिपत्र निकलेगा। राज्य/संघ राजय क्षेत्रों द्वारा निर्धारित दूरी के अनुसार स्कूल के आस-पास शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। -एमओएचएफ डब्ल्यू स्कूलों में आयोजित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एनसीपीसीआर के साथ स्कोर बोर्ड की आवधिक रिपोर्ट साझा करेगा।	एमओएचएफ डब्ल्यू	
यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना कि स्कूल परिसरों में एवं उसके आस-पास तम्बाकू अथवा किसी अन्य उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा।	-सभी स्कूल अपने स्टॉफ का पुलिस से अनिवार्यत: सत्यापन करवाएंगे। -इस बात के लिए वचनबंध करना कि स्कूल समय के दौरान इन उत्पादों का प्रयोग करने वाले स्टॉफ के संबंध में।	राज्य/स्कूल का शिक्षा विभाग	
	स्कूल में जीरो टॉलरेन्स नीति को अनिवार्यत: लागू किया गया है। -स्कूलों में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं-जिससे क) स्कूल परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में शराब का	राज्य/स्कूल का शिक्षा विभाग स्कूल/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (स्कूल/ सीडब्ल्यूपीओ)	

	सेवन करने वाले स्टॉफ अथवा विद्यार्थियों की नियमित जांच की जा सके। ख) इस बात की जांच करना कि 100 मीटर के दायरे के अंतर्गत तम्बाकू अथवा किसी मादक पदार्थ की बिक्री जैसा कोई कार्यकलाप तो नहीं किया जा रहा। -बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा तिमाही निरीक्षण करना। -जे जे अधिनियम 2015 अथवा किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की रिपोर्ट करना।	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी डब्ल्यू पी ओ) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल प्रिंसीपल/स्कूल प्रबंधन समिति/ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	

सारणी-2

किसी फार्मेसी/कैमिस्ट शॉप/मेडिकल स्टोर द्वारा नुस्खे (प्रिसक्रिप्शन) के बिना किसी बच्चे को अनुसूची-एच अथवा एम्स में दी गई ड्रग्स अथवा अन्य अवैध ड्रग्स की बिक्री करना।			
कार्य नीतिक कार्य	**कार्रवाई**	**उत्तरदायी प्राधिकारी**	**निर्धारित समय**
किसी फार्मेसी/कैमिस्ट शॉप/मेडिकल स्टोर द्वारा नुस्खे(प्रिसक्रिप्शन) के बिना किसी बच्चे को अनुसूची-एच अथवा एम्स में दी गई ड्रग्स अथवा अन्य अवैध	अनूसूची एक्स अथवा एच में उल्लिखित ड्रग्स की बिक्री करने वाली फार्मेसी/कैमिस्ट शॉप/मेडिकल स्टोर में अनिवार्यत: सी सीटी वी कैमरा लगाना। -विधिक प्रावधान के न होने पर संवेदनशील जिलों का जिला मजिस्ट्रेट दण्ड	फार्मेसी/कांउसिल/सीडीएस सी ओ/राज्य ड्रग प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट	

ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाना।	प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 133 के अंतर्गत उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैमिस्ट स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी कर सकता है। -जिला ड्रग्स नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा या दृच्छिक जांच करना। यदि इस प्रकार से ड्रग्स बेचने का कार्य करने वाले मैडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा न लगाया गया हो तो सीसीटीवी कैमरे से संबंधित आदेशों का पालन करने के लिए **मौजूदा मडिकल** स्टोर को 6 मास का समय दिया जाए। -अनुसूची एच और एक्स के अनुसार ड्रग्स की बिक्री करने वाले **म**डिकल स्टोर की सीसीटीवी के कैमरों की रिकाडिंग को परिणाम उस विशेष क्षेत्र, जिस क्षेत्र के मेडिकल स्टोर में ड्रग्स की बिक्री की जा रही है, के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यू पीओ अथवा विशेष किशोर पुलिस यूनिट) को प्राप्त कराए जाएं। -जिला ड्रग्स नियंत्रक प्राधिकारी, विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एस जे पी यू) बाल कल्याण पुलिस	जिला ड्रग्स नियंत्रक प्राधिकारी/विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एस जे पी यू)/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जिला ड्रग्स नियंत्रक प्राधिकारी	

	अधिकार (सीडब्ल्यू पीओ) के साथ साथ पर मीटिंग्स करेगा और उने मेटिकल स्टोंज,जिनमें सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, की सूची आवधिक समीक्षा के लिए मीटिंग्स में प्रस्तुत करेगा। -किसी मेडिकल स्टोर अथवा व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के अंतर्गत उसकी प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जे जे अधिनियम 2005 में यह उल्लेख कियागया है कि ‘ एक बच्चे के लिए इसे एक अपराध ही माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी विधिवत् अहर्ता प्राप्त चिकित्सक के आदेश से अन्यथा किसी बच्चे को कोई नशीली शराब अथवा नशीली दवाएं अथवा तम्बाकू उत्पाद अथवा मनोदैहिक पदार्थ देने का कारण बनता है’ तथा जे जे अधिनियम 2015 की धारा 78 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चों को नशीली शराब, नशीली दवाएं अथवा मनोदैहिक पदार्थ की बिक्री के लिए फेरी लगाने, ले जाने , सप्लाई करने अथवा तस्करी करने के लिए कहता है,		

	इसके लिए भी उस व्यक्ति को दोषी पाया जाएगा। -पुलिस स्टेशन प्रभारी मैडिकल/कैमिस्टशॉप द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में विशेष किशोर पुलिस अधिकारी और जिला ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा। जिला ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारी राज्यफार्मेसी काउंसिल को इस संबंध में जानकारी देगा। - राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सी डी एस सी ओ द्वारा संशोधित लाइसेंस नियमों के कार्यान्वयन को मानीटरन करेगा।	पुलिस स्टेशन प्रभारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस सी पी सी आर एस)	
	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआरएस) और राज्यड्रग नियंत्रण प्राधिकारी सी सीटीवी कैमरे लगाने और उनके सही-सही कार्य करने के संबंध में एस जे पी यू/सी डब्ल्यू पी ओ तथा जिला ड्रग्स नियंत्रक प्राधिकारी के साथ आवधिकसीमक्षा बैठकें करेगा। -राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग शराब और नशीली दवाओं मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में विशेष किशोर पुलिस यूनिट और जिला ड्रग्स नियंत्रण प्राधिकारियों से किशोरान्याय अधिनियम 2015 (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) की धारा 77 और 78 के अंतर्गत दर्ज मामलों की तिमाही डाटा प्राप्त करेगा। किशोर न्याय		

	अधिनियम 2015 बच्चों की देखरेख संरक्षण) की धारा 77 और 78 को अंतर्गत शराब से संबंधित अपराध का राज्य के उत्पादशुल्क विभाग को भेजा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नशीली दवाओं और मनादैहिकपदार्थो से संबंधित अपराधों का पूरा एन सी बी की अधिकारिता क्षेत्रीय यूनिटों को भेजा जाएगा। रा.बा.अधि.सं. आ. (एस सी पी सी आर) द्वारा तदनुसार रिपोर्ट का फार्मेट तैयार किया जाएगा। -एम ओ एचएफडब्ल्यू/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मॉल, एयरपोर्ट प्रोवीजनलस्टोरर्सहोटल्स और भोजनालयों जहां शराब और तम्बाकू की दुकानें हो जहां बच्चों को प्रवेश निषिद्ध हो, पर दूर से पढ़े जाने वाले नोटिस/डिस्पले बोर्ड लगाने के लिए मजबूत तंत्र तैयार करेगा और जेजे अधिनियम 2015 की धारा 77 नियम 56 तथा 2016 को नियमों के अनुसार दंड प्रावधान का उल्लेख करेगा जिसमें यह बताया गया है कि किसी बच्चे को नशीली शराब अथवा तम्बाकूउत्पाद देना अथवा बिक्री करना दंडनीय अपराध माना गया है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।	एम ओ एचएफडब्ल्यू/एम ओ एलजे ई	

सारणी 3

बच्चों द्वारा सेवन किए जाने वाले मादक पदार्थों का शीघ्र पता न लगा पाना			
कार्य नीतिक कार्य	**कार्रवाई**	**उत्तरदायी प्राधिकारी**	**निर्धारित समय**
बच्चों द्वारा सेवन किए जाने वाले मादक पदार्थों का शीघ्रग पता न लगा पाने के संबंध में प्रावधान बनाना/क्रिया विधि तैयार करना।	सामाजिक न्याय एवं अधकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा पता लगाए गए 272 प्रस्तावित जिलों में सेवन किए जाने वाली ड्रग्स और मादक पदार्थों का शीघ्र पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (रा.बा.स्वा.कार्य.) टीम के अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। -राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय (एमओएस जी एवं ई) द्वारा पता लगाए गए 272 प्रस्तावित जिलों के स्कूलों में बच्चों द्वारा सेवन किए जाने वाली ड्रग्स और मादक पदार्थों की स्क्रीनिंग करेगा और शीघ्र लक्षणों का पता लगाएगा। -इन स्कूलों को रेड जोन के अंतर्गत	एम ओ एचएफडब्ल्यू एम ओ एचएफडब्ल्यू	

	अंकित किया जाए और इससे संबंधित ब्यौरे एन ए पी डीडीआर के अंतर्गत एम ओ एस जे ई के साथ साझा किए जाएं ताकि समुदाय, ब्लॉक और जिला स्तर पर केंद्रित कार्रवाई की जा सके और राष्ट्रीयस्तर पर मानीटरन किया जा सके। - रा.बा.स्वा. कार्य के अंतर्गत डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिए एनडीडीटी एस, एम्स द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल और समय सारणी तैयार की जाए। -एनआईएसडी, एनएपी डीडीआर तथा एनडीडीटीसी, एम्स द्वारा जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रमुख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। -एससीपीसीआर एस रा.बा. स्वा.कार्य टीम के प्रशिक्षण के बारे में राज्य/संघ स्तर पर वर्चुअलीमानीटर करेगा।	एनआईएसडी, एससीपीसीआर	

सारणी 4

ड्रग्स अथवा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए पृथक अथवा विशिष्ट नशा मुक्त एवं पुनर्वास सुविधाओं की कमी

कार्य नीतिक कार्य	कार्रवाई	उत्तरदायी प्राधिकारी	निर्धारित समय
ड्रग्स अथवा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए पृथक अथवा विशिष्ट नशा मुक्त एवं पुनर्वाससुविधाएं	-एमओएसजेई द्वारा एनएपीडीडीआर के अंतर्ग एटीएसएस के अंतर्गत जिला एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को नशा मुक्त कराने एवं पुनर्वास संबंधी पृथक-पृथक सुविधाएं उपलब्ध कराना।		
	-एनएपीडीडीआर के अंतर्गत (एमओएसजेई) द्वारा गठित की जा रही एटीएफएस के कार्य मॉनीटरन करना।	एससीपीसीआर	
	-पृथक अवस्था में प्रयास किए जाएं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सभी 272 संवेदनशील जिलों में नशा-मुक्त केंद्र अथवा डीडीएसीएस बनाए जाएंगे। (वर्तमान में 125 संवेदनशील जिलों में कोई नशा-मुक्त केंद्र नहीं है।	एम ओ एस जे ई	
	-एफएपीडीडीआरएफ ओ एस जे ई/एम ओ एचएफडब्ल्यू द्वारा निर्धारित एटीएफ में बच्चों के लिए अलग से अहात बनाए जाएंगे।	एफ ओ एस जे ई(एम ओ एचएफडब्ल्यू)	

सारणी 5

सड़कों पर रहने वाले अधिकांश बच्चों द्वारा ड्रग्स और मादक पदार्थों का सेवन करना

कार्य नीतिक कार्य	कार्रवाई	उत्तरदायी प्राधिकारी	निर्धारित समय
सड़कों पर रहने वाले बच्चों द्वारा ड्रग्स और मादक पदार्थों का सेवन करना	-सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) द्वारा उन बच्चों की सूची तैयार की जाए जो बच्चे सड़कों पर रहते हुए ड्रग्स और मादक पदार्थ का सेवन करते हैं।	डीसीपीयू	
	-ड्रग्स और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सड़कों पर रहने वाले बच्चों को चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यू सी) के समक्ष पेश किया जाए। जिससे कि उन्हें काउंसलिंग उपचार और पुनर्वास के लिए उत्तर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। -इन बच्चों की काउंसलिंग करना और डीसीपीयू और राज्य ड्रग द्वारा उपयुक्त उपचार पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ले जाना। - ड्रग्स/मादक पदार्थों का संवन करने वाले सड़कों पर रहने वाले बच्चों पर कार्रवाई करने और उन्हें उपलब्ध कराई गए सेवाओं के संबंध में एससीपीसीआर एस तथा डीसीपीयूएस और चाइल्ड लाइन के ड्रग्स साथ समय-समय पर मीटिंग करना।	डीसीपीयू डी सी पी यू	

सारणी 6

प्रशिक्षित व्यवसायिकों, हितधारकों के बीच संवेदीकरण और लोक जागरूकता न होना।

कार्य नीतिक कार्य	**कार्रवाई**	**उत्तरदायी प्राधिकारी**	**निर्धारित समय**
प्रशिक्षण और संवेदीकरण	-एन आई एस डी द्वारा जिला स्तर पर संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। -गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा एमएपीडीडीआर के अंतर्गत सुदाय का संवेदीकरण।	एन आई एस डी एमओएसजीई	

	-किशोर और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए **अभिभावकों** (अध्यापकों की मीटिंग (ओरएिंटेशन) करवाना ताकि अपने बच्चों के भावनात्मक संकट के समय उनसे सहयोग कर सके जिससे कि बच्चे कोई मादक पदार्थ लेने पर निर्भर न रहें। -एन आई एस डी, विभिन्न हितधारकों, जिसमें विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी समुदाय प्रमुख, समाज कल्याण एजेंसियों जैसे कि गैर सरकारी संगठन, स्कूल के अध्यापक, काउंसलर, चिख्कित्सा अधिकारी और संबंद्ध स्टॉफ विधि प्रवर्तन अधिकारी शामिल है, के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करवाएगा और उन्हें प्रशिक्षण देगा तथा संवेदनशील बनाएगा।	स्कूल शिक्षा विभाग एम आई एस डी	
जागरूक करना	स्कूलों/कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें विद्यार्थी/अध्यापक/ एसएमसीएस /पीटीए/एनसीसीआर और एमएसएस स्वयं सेवक शामिल हैं, में जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करना। -सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन सप्लाई एवं विवरण) अधिनियम 2003 अथवा सीओटीपीए-2003 की धारा 4, धारा 5 धारा 6(क) के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों का पालन करना। -सूचना और प्रसारण मंत्रालय गीत एवं नाटक डिवीजन के माध्यम से विशेषकर अत्यधिक जोखिम और संवेदनशील क्षेत्रों में संवेदनशील बच्चों के ग्रुप उदाहरणार्थ गली में रहने वाले बच्चों, बाल सुधार संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।	स्कूल शिक्षा विभाग एनसीसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय	

	-एनसीपीसीआर अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित **विभागों** के साथ मिलकर बच्चों द्वारा सेवन किए जाने वाले ड्रग्स और मादक पदार्थों को दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता और संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित करेगा। एन सी पी सी आरएन एस बी, एन आई एस डी के साथ मिलकर संगत बाल अधिकार अधिनियमों, विशेषकरण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015 की संगत धाराओं के संबंध में हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। -एन सी पी सी आर, सी पी सी आरएल और एन सी बी के साथ मिलकर ड्रग्स और मादक पदार्थार्से के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। -एनसीपीसीआर संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर एन सी सी (एनएसएलकैडेट्स तथा विभिन्नमंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले मौजूदा बाल क्लबों, भवनों के लिए सामान्य कार्यक्रम तैयार करेगा ताकि ड्रग्स और मादक पदार्थ का सेवन करने वाले तथा बिक्री करने वाले बच्चों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।	एनसीपीसीआर एनएसबी, एनआईएसडी एनसीपीसीआर/एन आई एस डी/एन सी सी युवा कार्य	
	➢ स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय (एमओएच एफडब्ल्यू) राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे मॉल हवाई अड्डों या प्रोविजन स्टोर्स या होटलों या भोजनालयों, जहां शराब और तम्बाकू के स्टोर्स उपलबध हैं, जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 और नियम 56 और नियमावली 2016 के	एम ओ एच एफ डब्ल्यू	

	अनुसार समान दिशानिर्देश जारी करेगा कि वे बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए और सहज दृष्य स्थानों पर एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए कि बच्चों को नशीली शराब या तम्बाकू जैसे उत्पाद देना या बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए सात साल की कठोर सजा दी जाएगी और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।		
	➢ नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थो के सेवन के दुष्परिणामों के संबंध में गांधीवादी सिद्धांतों से प्रहरी क्लब (विशेष रूप से बाल क्लब) का अभि-विन्यास और संवेदनशीलता	गांधी समृति और दर्शन समिति	

(तालिका-7)

सयुक्त कार्य योजना का मॉनीटरिंग			
कार्य नीति संबंधी कार्रवाई	**हस्तक्षेप**	**जिम्मेदार प्राधिकारी**	**समय-सीमा**
सयुंक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन का मॉनीटरिंग	➢ एनसीपीसीआर और एनसीबी, एनसीबीएससीपीसीआर के जोनल (आंचलिक)/ क्षेत्रीय कार्यालयों में तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे। यदि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है तो उस जोन/क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला स्तर के प्राधिकारियों का भी आमंत्रित किया जाएगा।	एनसीपीसी आर	
	➢ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) जेएपी के अधीन की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला प्राधिकारयेां के साथ एक आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।	एनसीपीसी आर	
	➢ जिला मजिस्ट्रेट या एडीएम जिला स्तर पर (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला औषध (ड्रग्स) नियंत्रण, जिला और कोई अन्य प्रतिष्ठान सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ तिमाही बैठक आयोजित करेगा।	जिला मजिस्ट्रेट/ एडीएम	

18. अनुलग्नक

1. रिपोटिंग फार्मेट: (प्रपत्र) बच्चों/ के लिए बने स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थानों के निकट सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के लिए।
2. रिर्पोटिंग फार्मेट: स्कूल के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ)/जिला निरीक्षक के लिए।
3. स्कूलों/शैक्षिक संस्थानों में बाल क्लब का गठन करने के लिए दिशानिर्देश।
4. आदेश-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधी आदेश।
5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएमके) का केंद्रित तंत्र (क्रिया विधि)।
6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और एनसीबी द्वारा अभि निर्धारित 272-संवदेनशील जिलों की सूची।
7. मादव पदार्थों का सेवन करने वाले सड़क पर रह रहे बच्चों की रिपोर्ट करने की प्रकिया।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय द्वारा इन्हेर्लेट के निषेध संबंधी अधिसूचना।
9. संयुक्त कार्य योजना के अंतर्गत स्टेक होल्डर्स को संवेदनशील, प्रशिक्षण और जागरूकता।
10. 272 अति संवेदनशील जिले-एक परिचय।
11. लिकर शॉप संबंधी केस ला।

अनुलग्नक-1

रिर्पोटिंग फार्मेट

बच्चों के स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के निकट सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के लिए

1. जिला
2. राज्य

क्रम संख्या	संस्था का नाम और पता	स्कूल/छात्रावास/कोचिंग सेंटर/बाल देखभाल संस्थान/किसी अन्य प्रकार की संस्था	प्रधानाचार्य/ इनचार्ज का नाम एवं संपर्क संख्या	क्या सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और वह काम कर रहा हैं (हां/नहीं)	क्या 100 गज की परिधि में कोई शराब/सिगरेट/बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद शॉप पाई गई है (हां/ नहीं)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट
नाम एवं हस्ताक्षर
तारीख

को प्रस्तुत-
विशेष किशोर पुलिस अधिकारी
नाम-
तारीख-

अनुलग्नक-2

रिपोर्टिंग फार्मेट

स्कूल के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ)/जिला निरीक्षक के लिए

1. जिला का नाम
2. राज्य

क्रम संख्या	संस्था का नाम और पता	क्या सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और वह काम कर रहा है	क्या राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट दूरी की परिधि के भीतर कोई शराब की दुकान चल रही है।	क्या सीओटीपीए के अनुसार 100 गज	क्या 100 गज की परिधि में कोई शराब/सिगरेट/बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद शॉप पाई गई है (हां/ नहीं)

स्कूल के जिला शिक्षा अधिकारी/जिला निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख-

निम्नलिखित रिपोर्ट को प्रस्तुत
जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

अनुलग्नक-3

स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों के क्लब के गठन के लिए दिशा-निर्देश

बच्चों का क्लब- ( )

बाल क्लब क्या है ?

- बाल क्लब ऐसे बच्चों का एक संघ है जो सामान्य लक्ष्यों और उद्देशें को प्राप्त करने का प्रयास कर रह हैं। इस क्लब का बच्चों द्वारा स्वयं गठित किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है और इसे चलाया जाता है। इस क्लब का उद्देश्य बच्चों के स्कूल/शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और पदार्थों के सेवन और सूचना देना एवं उनकी रोकथाम करना है।
- बाल क्लब एक विशिष्ट क्षेत्र में बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ताकि वे अपने स्वयं के विकास और उस समाज जिससे वे आए हैं के लिए साथ मिलकर बातचीत कर सके और कार्यकलापों की योजना बना सकें। बच्चे मानव संसाधन होते हैं। बाल क्लबों का गठन करने के माध्यम से उनकी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जाना चाहिए और संगठित किया जाना चाहिए। ऐसे क्लब बच्चों और किशोरो को अधिकार प्रदान करते हैं।

बच्चों के समूह का गठन

- छठी से बारहवीं कक्षा तक के प्रत्येक कक्षा से बच्चों के समूह का चयन, व्यवहार, स्कूल क्षमता निष्पादन नेतृत्व कौशल आदि सहित निर्धारित मानदंड के आधार पर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा।
- क्लब के इस समूह में कुल 20-30 विद्यार्थी होंगे। इनमें एनसीसी और एनएसएस कैडेर भी शामिल होंगे।
- स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं में बाल क्लबों की कार्यप्रणाली को मॉनीटर करने के लिए संगम ज्ञापन, उपनियम, समुचित रूप से चयनित साधारण निकाय, कार्यपालक समिति और अन्य उप समितियां होंगी।
- स्कूल के 2-3 अध्यापकों/काउंसलरों को इस क्लब की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी।
- बाल क्लब का मानीटरन (नियंत्रण) स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापकों, स्कूल काउंसलरों, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट सदस्यों से गठित जनरल बॉडी (सामान्य निकाय) द्वारा किया जाएगा।
- बाल क्लब के सदस्यों की तिमाही समीक्षा बैठक, स्कूल के प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के साथ की जाएगी।

भूमिका और दायित्व

- स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की 100 **गज** की परिधि के भीतर दुकानों से बच्चे शराब, तम्बाकू से संबंधित कोई उत्पाद नहीं ले रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रभावकर्ता बाल क्लब के सदस्य के साथ-साथ स्कूल/शैक्षणिक संस्था के आस-पास, उनके संबंधित क्षेत्रों में यादृच्छिक जांच, **संघटन** गतिविधियां प्रारंभ करेंगे।
- बाल क्लब के सदस्य, सीओटीपीए के अनुसार 100 मीटर की परिधि के भीतर स्कूल के निकट सिगरेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों की सूची तैयार करने में स्कूल के प्रधानाचार्य की सहायता करेंगे। इसी प्रकार से सकूल से निर्धारित दूरी (राज्य द्वारा) के भीतर शराब बेचने वाली दुकानों की सूची तैयार करने में स्कूल के प्रधानाचार्य की सहायता करेंगे।
- यहां बाल क्लब का एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष के साथ-साथ क्लब के अन्य सदस्य अध्यापकों, प्रधानाचार्य के परामर्श से उनके विषय क्षेत्र/वास्तविक जरूरतों के अनुसार तिमाही में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों की कार्य योजना अभिनिर्धारित करेंगे और कार्य योजना बनाएंगे।
- क्लब के समूह सदस्य, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को कोई अवैध या अन्य नशीले पदार्थ नहीं दिए जा रहे हैं स्कूल और आसपास के स्थानों की रैंडम जांच करेंगे।
- बाल क्लब के सदस्य स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम की योजना बनाएंगे और उसे आयोजित करेंगे ताकि छात्रों की नशीली दवाओं और पदार्थो के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।
- कोई बच्चा नशीली दवा देने में लगा है और नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, बाल क्लब के समूह की सदस्य इसकी जांच करने के लिए निगरानी रखेंगी। वे नशीली दवाओं की लत के शुरूआती लक्षणों के लिए या ऐसे अन्य छात्र जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है के लिए एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे।
- यदि उन्हें लगता है कि कोई बच्चा नशीली दवाओं को ले रहा है या बेचने में लगा है तो इस जानकारी को उनसे गुप्त रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बाल क्लब के ये बच्च इस गोपनीय जानकारी की सूचना नामित अध्यापक को देंगे और यह जानकारी स्कूल काउंसलर और अभिभावकों के साथ शेयर की जाएगी।
- बाल क्लब के सदस्य युवा विकास के लिए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए गए सभी जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेंगे ।

- बाल क्लब की कार्य योजना तैयार करेंगे और उसे लागू करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे ।
- सरकारी विभागों/विकास एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना।
- जिला युवा समन्वयकर्ता, बाल क्लब, रोटरी क्लब, लॉयन क्लब, रेड क्रास स्थानीय गैर सरकारी संगठनों/सीबीओ के समन्वय से अभियान शुरू करने की तारीख से अभियान चलाने के लिए स्थानीय ख्याति प्राप्त हस्तियों का इस्तेमाल करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- नेहरू युवा स्वयं सेवक और अन्य बाल क्लब के सदस्य-बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों पर स्थानीय मॉल, आस-पास के क्लबों और सकूलों, ग्रामीण क्लब क्षेत्रों में सामूहिक नाटक/स्क्टि/संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- बच्चों में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन के खतरे को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां शुरू करेंगे जैसे स्कूलों की दीवारों पर स्लोगन (नारा) लिखना, इस विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, बच्चों के लिए संगीत कनर्सट करना आदि।
- गांधी स्मृति और दर्शन समिति गांधीवादी विचारधाराओं और सिद्धांतों पर प्रहरी क्लब का मार्गदर्शन करेगी और सलाह देगी।

अनुलग्नक-4

दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 133 के अधीन आईटीएस शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया आदेश

फाइल संख्या -

तारीख-

जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त का कार्यालय

जिला-

राज्य-

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम............के नियम............के अनुसार अनूसूचित एक्स या एच की औषधियों को बेच रही............जिले की सभी मेडिकल/फार्मेसी दुकानों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। सभी मेडिकल/फार्मेसी दुकानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरा लगने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जांच जिला औषध नियंत्रक प्राधिकरण/सीडब्ल्यूपीओ द्वारा किसी भी समय या दृच्छिक रूप से की जा सकती है।

यदि किसी मेडिकल/फार्मेसी दुकान का मालिक इस आदेश का अनुलान नहीं करता है तो उक्त व्यक्ति/मालिक के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

नाम एवं हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त

जिला

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. जिला औषध नियंत्रक प्राधिकरण।
2. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

अनुलग्नक-5

फोकस तंत्र-आर.बी.एस.के

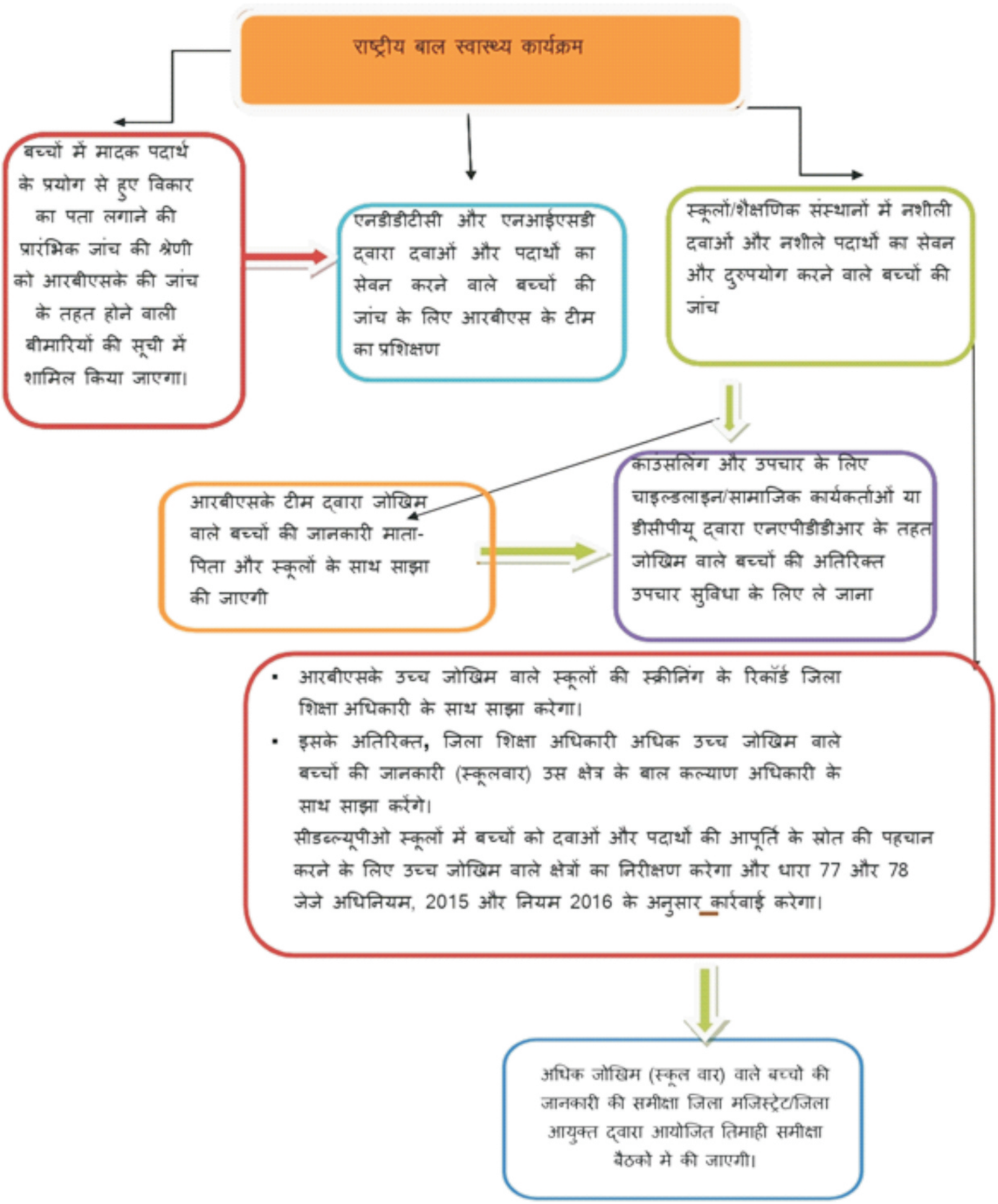

अनुलग्नक-6

विस्तृत कार्रवाई के लिए चयनित (272) जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले
1.	आंध्र प्रदेश	(1) विशाखापत्तनम (2) पूर्वी गोदावरी (3) पश्चिम गोदावरी (4) कृष्णा
2.	अरूणाचल प्रदेश	(1) लोहित (2) दिबांग घाटी (3) अपर सियांग (4) अंजाव (5) चांगलांग (6) नमसाई (7) तिरप (8) वेश कामेंग
3.	असम	(1) नागॉन (2) उदलगुरी (3) कामरूप (मेट्रो) (4) कामरूप (ग्रामीण) (5) कछार (6) हैलाकांडी (7) करीमगंज (8) धुबरी (9)गोलपाड़ा
4.	बिहार	(1) गया (2) औरंगाबाद (3) गोपालगंज (4) अररिया (5) पूर्वी चंपारण (6) पश्चिम चंपारण (7) भोजपुर (8) वैशाली
5.	चंडीगढ़	(1) चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	(1) रायपुर (2) सूरजपुर (3) बिलासपुर
7.	दमन और दीव	(1) दमन (2) दीव
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली	(1) मध्य दिल्ली (2) पूर्वी दिल्ली (3) नई दिल्ली (4) उत्तरी दिल्ली (5) उत्तर पूर्वी दिल्ली (6) उत्तर पश्चिम दिल्ली (7) शाहदरा (8) दक्षिण दिल्ली (9) दक्षिण पूर्व दिल्ली (10) दक्षिण पश्चिम दिल्ली (11) पश्चिमी दिल्ली
9.	गोवा	(1) उत्तरी गोवा (2) दक्षिण गोवा
10.	गुजरात	(1) राजकोट (2) सूरत (3) अहमदाबाद (4) भरूच (5) वडोदरा (6) महसाणा (7) पोरबंदर (8) जामनगर
11	हरियाणा	(1) रोहतक (2) सिरस (3) सोनीपत (असंदगांव, औद्योगिक बेल्ट) (4) हिसार (5) अंवाला (6) फतेहाबाद (7) करनाल (8) कुरूक्षेत्र (9) पानीपत (ईदगाह रोड) (10) नूह (मेवात)
12.	हिमाचल प्रदेश	(1) चंबा (2) कुल्लू (3) मंडी (4) शिमला
13.	झारखंड	1) लटीहर (2) ग्रहवा (3) सरायकेला (4) छतरा (5) कुंती (6) जामतारा (7) गुमला (8) हजारीबाग (9) वोकारो (10)सिमदेगा (1 1) ईस्ट सिंगभूम (12) रॉची

14.	जम्मू एवं कश्मीर	(1) डोडा (2) किश्तवार (3)पौंच (4) राजौरी (5) पुलवामा (6)अनंतनाग (7) किउलगाम (8) शोपिया (9) बडगाम (10)बादीपोरा
15.	कर्नाटक	(1) बेंगलुरू (2) कोलार (3) मैसूर (4) उडुपी (5) रामनगर (6) कोडगु
16.	केरल	(1) त्रिवेंद्रम (2) कोल्लम (3) एर्नाकुलम (4) कोझीकोड (5) मलप्पुरम (6) इडुक्की
17.	महाराष्ट्र	(1) पुणे (2) नागपुर (3) नासिक (4) मुंबई
18.	मणिपुर	(1) चुडाचादपुर (2) सेनापति (3) बिशनपुर (4)चंदेल (5) इंफाल पूर्व (6) इंफाल पश्चिम (7) कांगपोकपी (8)थौबल(9) उखरुली
19.	मेघालय	(1) शिलांग (2) तुरा (वेस्ट गारो हिल्स में टाउन) (3) वेस्ट जंटिया हिल्स/ डावकी (4) बाघमारा (दक्षिण गारो का मुख्यालय) हिल्स)
20.	मध्यप्रदेश	(1) रीबा (2) जबलपुर (3)भोपाल (4) चिंदवारा (5)ग्वालियर (6) नीमंच (7) इंदोर (8) उज्जैन (9) दतिया (10) होशंगाबाद (11) मंदसौर (12) नरसिंहपुर (13) रतलाम(14) सागर (15) सतनस
21.	मिजोरम	(1) कोलासिब (2) आइजोल (3) चम्फाई
22.	नगालैंड	(1) दीमापुर (2) कोहिमा (3) मोन
23.	उड़ीसा	(1) कट्टक (2) मलकानगिरी (3)अंगुल (4)बौद्ध (5) देवगढ़ (6)गजपति (7) कंघमाल (8) पुरी (9) रायगढ़ (10) संबलपुर
24.	पंजाब	(1) फरीदाकोट (2) जलंधर (3) अमृतसर (4) भटिंडा (5)फिरोजपुर (6) फाज्जिलिका (7) गुरदासपुर (8) कपूरथला (9) लुधियाना (10) मनसा (11) मोगा (12) पठानकोट (13) संगरू(14) पटियाला (15) श्रीमुक्तसर साहिब (16) नवाशहर (शहीद भगत सिंह नगर) (17) तरनतारण (18) होशियारपुर
25.	राजस्थान	(1) चितौंडगढ़ (2) प्रतापगढ़ (3) झालावर (4) भीलवाड़ा (5) उदयपुर (6) कोटा(7) बारन (8) जोधपुर (9) बाड़मेर (10) जैसलमेर (11) पाली (12) झालोर (13) नागौर (14) जयपुर (15) अजमेर (16) सिकर (17) झुनझुनू (18) दौसा (19)अलवर (20) हनुमानगढ़ी (21) श्रीगंगानगर (22) बीबर (जिला अजमेर का शहर) (23) बीकानेर (24)

		बंशवार (25)भरतपुर (26) बुंदी (27) चुरू (28)डूंगरपुर (29) राजसंवद (30)सवाई माधोपर (31) करौली (32)सिरोही (33)टॉक
26.	सिक्किम	(1) पूर्वी सिक्किम (2) पश्चिम सिक्किम (3) उत्तरी सिक्किम (4) दक्षिण सि क्किम
27.	तमिल नाडु	(1) कन्याकुमारी (2) तिरुनेलवेली (3) नमक्कल (4) थेनी
28.	तेलंगाना	(1) खम्मम (2) आदिलाबाद (3)हैदराबाद (4)महबुबनगर
29.	त्रिपुरा	(1) सिपाहीजाला (2) पश्चिम त्रिपुरा (3) दक्षिण त्रिपुरा (4) धलाई (5) उत्तरी त्रिपुरा (6)कमलासागर (पश्चिम त्रिपुरा (7) खोवाई(8) उनाकोटि
30.	उत्तरप्रदेश	(1) इलाहाबाद (2) बाराबंकी (3) बरेली (4) इटावा (5) कानपुर नगर (6)गोरखपुर (7) लखीमपुर खीरी (8) लखनऊ (9) वाराणसी (10) आजमगढ़ (11) देबरिया (12) आगरा (13) बहराइच (14) फैजावाद (15) गाजीपुर (16) गौंडा (17)झांसी (18) कुशीनगर (19) महाराजगंज (20) मउ(21) मुरादाबाद (22) रायबरेली (23) सहारनपुर (24) संभल (भीम नगर) (25) शाहजानपुर (26) शामली (प्रबुद्धनगर) (27) सिदार्थनगर (28) ओरैया (29)बदायू (30) श्राबस्ती (31) गाजियाबाद (32) नोएडा (33) ग्रेटर नोएडा
31.	उत्तराखंड	(1) उत्तरकाशी(2) चम्पावत (3) अलमोड़ा (4) पिथौड़ागढ़ (5) चमौली (6) श्रीनगर (7) हल्दवानी (8) नैनीताल (9)हरिद्वार (10) देहरादून
32.	पश्चिम बंगाल	(1) कोलकाता (2) मालदा (3) मुर्शिदाबाद (4) कूचेबार (5) उत्तर दिनाजपुर (6) सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला)

अनुलग्नक-7

सड़कों पर पल रहे मादक पदार्थों के दुरुपयोग का शिकार बालकों की सूचना देने की प्रक्रिया

क्रं. सं.	हस्तक्षेप/उपाय	कैसे	कौन
1.	सी डब्ल्यू सी के समक्ष उत्पादन	कोई भी व्यक्ति चाइल्डलाइन, किशोर पुलिस, सी डब्ल्यू ओ या किसी और गैर सरकारी संगठन के सहायता से या सहायता के बिना सड़कों पर पल रहे बच्चों को (सीआई एसएस) सी डब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।	जे जे अधिनियम 2015 की धारा 31 के अधीन या उपबंधित कोई व्यक्ति या एनसीपीसीआर, एस सीपीसीआर और जिला बाल संरक्षण तंत्र या सी आई एस एस की देखभाल और संरक्षण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा गठित की गई टीम सांविधिक निकाय।
2.	बच्चे की काउंसिंग और जांच	सी डब्ल्यूसी के आदेश पर (काउंसलर बच्चे की काउंसलिंग करेगा और मादक पदार्थ का सेवन करने की बचचे की बुरी आदत के संबंध में और वह उसे कहां से प्राप्त करता है के बार में जानकारी प्राप्त करेगा।	डीसीपीयू, काउंसलर
3.	बच्चों को उपयुक्त सुविधा वाला आश्रय प्रदान करना।	सीडब्ल्यूसी के आदेश पर बच्चे को उसकी स्थिति के अनुकूल उपयुक्त सुविधा में भेजा जाए।	डीसीपीयू जिला समाजकल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ)
4.	सीडब्ल्यूसी जे जे अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत मादक पदार्थों को बेचने वाले व्यक्ति/दुकान के विरूद्ध जांच या कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अनुरोध कर सकता है।	सी डब्ल्यू सी के अनुरोध पर पुलिस, मामले की जांच करेगी और उपयुक्त विधिक कार्रवाई करेगी।	स्थानीय पुलिस

अनुलग्नक-8

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934

No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

फा. सं. एक्स. 11029/6/2010-डीडीएपी.—यत: 2010 की सिविल रिट याचिका सं. 1332–व्यक्ति विकास केन्द्र बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के दिनांक 25-11-2011 के आदेशों के अनुसार, सामान्यत: कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ करेक्शन फ्लूड एवं थिनर के बच्चों/आवारा बच्चों द्वारा नशीली दवाओं की तरह उत्तेजक असर प्राप्त करने के लिए सांस में अंदर लेकर नशीले पदार्थ/दवा के रूप में व्यापक रूप से दुरुपयोग किए जाने की सूचना मिली है, की बिक्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए उपाय निकालने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया था ।

और जबकि ऐसे रासायनिक थिनर का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर जैसे कई अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न अन्य खुदरा उत्पादों में भी किया जाता है ।

और जबकि कार्य दल ने दिनांक 12-1-2012 एवं 20-1-2012 को आयोजित अपनी बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया तथा उनका सर्वसम्मत विचार यह था कि इस समस्या को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकने वाले उपायों में एक उपाय इन रसायनों की बोतलबंद रूप में खुदरा बिक्री पर रोक लगाना तथा कलम या ऐसी ही युक्ति के रूप में उनकी बिक्री की अनुमति देना हो सकता है ।

अत: अब केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन का आदेश देती है :—

(i) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्शन फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की खुदरा बिक्री के लिए निर्माण पर रोक लगाना ।

(ii) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्शन फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की बिक्री पर रोक लगाना ।

(iii) कलमों या ऐसी युक्तियों जिनमें इस्तेमाल करते समय सीमित मात्रा में रासायनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं; के रूप में स्याही मिटाने के प्रयोजनार्थ तथा नेल पॉलिश रिमूवर्स, दोनों के रूप में इस्तेमाल के लिए किसी तरह के रासायनिक संघटन के करेक्शन फ्लूड तथा थिनर की बिक्री की अनुमति देना ।

(iv) करेक्टिंग फ्लूड/थिनर की अनुप्रयोग युक्तियों (कलम या अन्यथा) पर उनमें निहित वाष्प के अन्त:श्वसन/रसायनों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अनिवार्य चेतावनी प्रदर्शित की जानी चाहिए ।

आदेश दिया जाता है कि इन उपायों का संबंधित सरकारी विभागों/प्राधिकारियों, कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्राधिकारियों, व्यापार एवं उद्योग द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुपालन एवं कार्यान्वयन किया जाए ।

अरूण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

2619 GI/2012 (1)

अनुलग्नक-9

तालिका संयुक्त कार्ययोजना के तहत स्टेक होल्डर्स का संवेदनशील प्रशिक्षण और नागरूकता

क्रम संख्या	स्टेक होल्डर्स	प्रशिक्षण मॉड्यूल	प्रशिक्षण मॉड्यूल की संख्या	प्रशिक्षण देने वाला
1.	स्कूल के प्रधानाचार्य/अध्यापक और काउंसलर	1. राष्ट्रीय बला अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा बाल रक्षा एवं सुरक्षा नियम पुस्तक पर प्रशिक्षण 2. सीओटीपीए अधिनियम किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 और नियमावली 2016 के उपबंधों पर प्रशिक्षण । 3. अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर अध्यापको को ओरिएटेशन और प्रशिक्षण। 4. बच्चों और संबंधित कारकों के बीच सेवन की गई नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों की शीघ्र पहचान के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों पर कांउसलरों का प्रशिक्षण।	एक एक एक	एनसीपीसीआर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एनसीईआरटी
2.	बाल क्लब के विद्यार्थी	1. बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव संबंधी सैनिटाइजेशन 2. बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों (पदर्थो) के जोखिम को रोकने के लिए बाल क्लब की भूमिका और जिम्मेदारियां एवं रिपोर्टिंग तंत्र।		स्कूल के अध्यापक/काउंसलर
3	एनसीसी/एवं एस एस कैडेट	बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों संबंधी संवेदनशील		स्कूल के अध्यापक काउंसलर

4	जिला आबकारी अधिकारी	1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा बाल रक्षा एवं सुरक्षा नियम पुस्तक पर प्रशिक्षण 2 सीओटीपीए अधिनियम, किशोर न्याय संरक्षण(बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियमावली 2016 के उपबंधों पर प्रशिक्षण।		एससीपीसीआर/एनसीपीसीआर
5	जिला आबकारी अधिकारी			एनआईएस डी
6	जिला मजिस्ट्रेट			
7	एसएमसी/पीटीए			जिला शिक्षा अधिकारी
8	राज्य शिक्षा विभागों/शिक्षा बोर्ड के अधिकारी			
9	आरबीएस के टीम/डॉक्टर्स	बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों की पूर्व स्क्रीनिंग पर मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम		एनडीडी टी सी, ए आई आई एम एस/एन आई एस डी
10	ए टी एफ का मेडिकल स्टॉफ	नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे बच्चों के उपचार, नशामुक्ति काउंसलिंग और सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम **मानकीकरण** और क्वालिटी सर्विसिस के लिए सेवाओं के न्यूनतम मानकीकरण पर नियमपुस्तक		
11	फार्मा/ कैमिस्ट	औषध एवं प्रसाधन अधिनियम (अनुसूची एक्स ओर एच की औषधियों की बिक्री का रिकार्ड रखने पर एम आई एस) के मुख्य उपबंधों पर प्रशिक्षण		सीडीएससीओ

12	एनसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी			
13	डी सी पी यू			
14	जिला समाज कल्याण अधिकारी	1 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमावली 2016 के मुख्य उपबंधों पर प्रशिक्षण। 2 जागरूकता संबंधी		एनसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी
15	बाल देख रेख संस्था का अधीक्षक एवं स्टाफ			
16	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी			एन सी बी के क्षेत्रीय अधिकारी
17	विशेष किशोर पुलिस अधिकारी			
18	बाल कल्याण समिति			
19	एन जी ओ/सीएसओ			डीसीपीयू
20	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ नगर-निगम अधिकारी/ पंचायत सचिव	बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी ओरिएंटेशन		
21	सोशल मीडिया	बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं मादक द्रव्यों पर रोकथाम संबंधी शिक्षा और		स्वास्थ्य एवं परिवार

	सर्विस प्रोवाइडर मीडिया परसन	जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम		कल्याण मंत्रालय/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एन सी पी सी आर द्वारा ओरिएंटेशन
22	सामुदायिक स्तर	बच्चों के बीच सेवन की जा रही नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुश्प्रभाव संबंधी संवदेनशील		गान एवं नाट्य प्रभाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/ सामुदायिक रेडियो

मादक द्रव्यों के सेवन और उनकी आपूत्ति की सीमा और पैटर्न पर आधारित पहचाने गए 272 अतिसंवेदनशील जिले

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कार्षों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है और ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उपबंधित मादक पदार्थों की आपूर्त्ति की दृष्टि से संवेदनशील है, ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों से देशभर में संवेदनशील जिलों में हस्तक्षेप कर सकें-बच्चों और युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, सामुदायिक भागीदारिक और जन सहयोग बढ़ाना, और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त मौजदा नशामुक्ति केंद्रों के अलावा और अधिक नशा मुक्ति के केंद्र खोलने के लिए सरकारी अस्पतालों को सहायता देना और भागीदरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

शराब की दुकान संबंधी केस लॉ

उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी एवं अन्य ए आई आर 2008 एस सी डब्ल्यू 1912

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जो इस प्रकार है-

4 उच्च न्यालय की खंडपीठ ने उपरोक्त उपबंध को संज्ञान में लेते हुए यह निर्देश दिया कि सभी लाइसेंस प्राप्त दुकाने जो सार्वजनिक रिसॉर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या फैक्ट्री के स्थान या किसी बाजार के प्रवेश स्थल या किसी आवासीय कॉलोनी के निकट स्थानों के आस-पास चल रही थी, को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में अधिकांश अर्थात् 53 शराब की दुकानों को बंद किया गया था। **पक्षकारों की सुनवाई और समस्या का न्यायोचित और निष्पक्ष समाधान निकालने के बाद खंडपीठ ने 100 मीटर या फीट (लगभग) की दूरी निर्धारित की जिसके भीतर सार्वजनिक रिजॉर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, फैक्ट्री या किसी बाजार के प्रवेश द्वार या आवासीय कॉलोनी के समीप किसी स्थान पर कोई शराब की दुकान नहीं होगी।**